रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 1998/भाद्र 26, 1920
No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 1998/BHADRA 26, 1920

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1998

फा. सं. 104/26/लेखा.—31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष की दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की परिषद् की अठारहवीं वार्षिक रिपोर्ट ।

1. प्रस्तावना

1.1 कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 18 की उपधारा (5) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की परिषद् 31 मार्च 1998 की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट और इस अवधि के लेखों का परीक्षित विवरण तथा उन पर इंस्टीट्यूट के कामकाज की लेखापरीक्षक रिपोर्ट प्रकाशित करती है ।

2. नई घटनायें

2.1 कम्पनी सचिव व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस वर्ष की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 14 अगस्त, 1997 को राज्य सभा में कम्पनी विधेयक पेश किया गया। इंस्टीट्यूट द्वारा कम्पनी विधेयक के कार्यकारी प्रारूप पर दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद सरकार ने प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी और प्रत्येक गैर-सूचीबद्ध कम्पनी के लिए भी, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी एक करोड़ रुपए या इससे अधिक है, पूर्ण कालिक सचिव की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है । इस विधेयक में पूर्ण कालिक प्रेक्टिसरत सचिवों के लिए उनके व्यावसायिक कार्य के और नए क्षेत्र खोलने का प्रस्ताव है । धारा 256(5) में प्रावधान किया गया है कि ऐसी प्रत्येक कम्पनी के लिए, जिसे पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और उसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 10 लाख रुपये या इससे अधिक है, आवश्यक होगा कि वह पूर्णकालिक प्रेक्टिसरत सचिव का प्रमाण पत्र ऐसे फार्म और शर्तों के अधीन रहते हुए लगाए, जो निर्धारित की गई हो; इस प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया जाए कि कम्पनी अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है या नहीं । प्रथम बार केन्द्र सरकार को धारा 412 के अधीन शक्ति प्रदान की जायेगी जिससे वह प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव से सचिवीय लेखा परीक्षा कराने के निर्देश दे सकती है । धारा 297 के अधीन कम्पनी परिसमापक की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसे कम्पनी सचिवों, एडवोकेटों, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टों, कास्ट वर्क्स एकाउण्टेण्टों की फर्मों या इन विधाओं से संबंध मिली जुली फर्मों के पैनल से नियुक्त किया जा सकता है । धारा 264 में न्यायालय को समझौता, व्यवस्था और पुनर्निर्माण से सम्बद्ध किसी प्रश्न के निर्धारण या अन्य किसी मामले पर विशेषज्ञों से युक्त आयोग को विशेषज्ञ समिति में लेने के लिए निर्देश जारी करे । चूंकि निगम विधियों में कम्पनी सचिवों की मुख्य योग्यता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, इसलिए न्यायालय उनसे विशेषज्ञ सम्मति देने का आदेश दे सकता है।

12 जून, 1997 को इंस्टीट्यूट ने इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया के साथ संयुक्त रूप से कम्पनी विधेयक, 1997 के कार्यकारी प्रारूप पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम ने किया । इंस्टीट्यूट ने फिर एक बार कम्पनी विधेयक, 1997 पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन संसदीय वित्त स्थायी समिति के अध्यक्ष डा. देबी प्रसाद पाल ने किया । इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं ने भी कार्यकारी मसौदे और कम्पनी विधेयक, 1997 पर अनेक विचार गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित कीं । इनमें जो सुझाव सामने आए, उन्हें सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया गया । कम्पनी विधेयक, 1997 के बारे में सुझाव देते हुए एक ज्ञापन संसदीय वित्त स्थायी समिति को भी उसके विचारार्थ भेजा गया।

2.2 कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन

इंस्टीट्यूट की परिषद् ने कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे । इन प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं—"नियोजन में रहने" शब्दावली की परिभाषा, सदस्यों से कितना अधिकतम प्रवेश और वार्षिक शुल्क लिया जा सकता है, इस बारे में राशि की अधिकतम सीमा को हटाना, प्रेक्टिसरत सदस्यों को 'प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव' का पदनाम तथा नौकरी में लगे सदस्यों को उनके नियोक्ताओं द्वारा दिए गए पदनाम का प्रयोग करने की

2538 GI/98—1

अनुमति देना, व्यवसाय या अन्य कदाचार से सम्बन्धित जांचों के मामले में अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व परिषद के समक्ष अभ्यावेदन देने का अवसर देने का प्रावधान; समर्थक प्रावधान की व्यवस्था करना जिससे प्रेक्टिसरत सदस्य व्यवसाय सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में और भारत के बाहर की व्यावसायिक संस्थाओं के साथ व्यवस्था कायम कर सकें और प्रेक्टिसरत सदस्यों को अपनी अर्हताओं, व्यावसायिक अनुभव और जिस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, इनके बारे में विज्ञापन देने या लिखित पत्र आदि भेजने की अनुमति मिल सके। भारत सरकार प्रस्तावित संशोधनों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

2.3 कम्पनी सचिवों का रजत जयंती राष्ट्रीय सम्मेलन और तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

कम्पनी सचिवों का रजत जयंती (25वां) राष्ट्रीय सम्मेलन और तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29–31 अगस्त 1997 को हैदराबाद में आयोजित किया गया, जिसका विषय था–'कार्पोरेट गवर्नेंस–ग्लोबल पर्सपेक्टिव' अर्थात् 'निगम प्रशासन–वैश्विक परिप्रेक्ष्य'। इस सम्मेलन में सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका स्तर अत्यधिक ऊंचा था। परिषद हैदराबाद शाखा और दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद द्वारा इसके आयोजन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करती है।

2.4 भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री के साथ बैठक

14 मई 1997 को इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष महोदय, परिषद सदस्य और सचिव शामिल थे, भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री पी० चिदंबरम् के साथ मुलाकात की, जिसमें उनके साथ इन क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई, जिसमें कंपनी अधिनियम पर कार्यकारी ग्रुप द्वारा कम्पनी सचिव की अनिवार्य नियुक्ति के बारे में की गई सिफारिशों से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

2.5 भारत सरकार के माननीय वित्त राज्य मंत्री के साथ बैठक

जून 1997 को इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधि मण्डल ने तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री सतपाल महाराज से भेंट कर उन्हें कम्पनी विधेयक के कार्यकारी प्रारूप में, विशेष रूप से कम्पनी सचिवों के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के बारे में इंस्टीट्यूट द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के बारे में अवगत कराया।

2.6 सेबी, आई डी बी आई, एन एस ई आदि के साथ बैठक

सेबी के चेयरमैन और वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) के चेयरमैन और कार्यकारी निदेशक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबन्ध निदेशक और अनेक राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा राज्य वित्तीय निगमों के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशकों से बैठकें हुईं और उन पर इस बात के लिए जोर दिया गया कि कम्पनी सचिवों की सेवाओं का उपयोग किया जाए।

2.7 कम्पनी सचिवों के व्यवसाय को मान्यता

भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को साथ ही साथ सूचीबद्ध करार में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं कि कम्पनी से इस बात पर जोर देने का प्रावधान किया जाए कि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेण्ट (आर टी ए) इस बात का प्रमाण पत्र दें कि सभी अंतरणों को निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया।

2.8 इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स (आई सी एस ए) लन्दन के साथ पारस्परिक आधार पर प्रश्न पत्र वार छूट की व्यवस्था

आई सी एस ए, लन्दन ने सिद्धांत रूप में आई सी एस ए के अर्हता योजना प्रश्न पत्रों में से तीन प्रश्न पत्रों अर्थात् कम्पनी विधि, कम्पनी सचिवीय पद्धति और कम्पनी कार्य प्रशासन को छोड कर आवेदन करने पर सभी पत्रों में छूट

के लिए आई सी एस ए अर्हता और सदस्यताधारियों को मान्यता प्रदान करने की सहमति दे दी है। इसके बदले में इंस्टीट्यूट ने आई सी एस ए अर्हता और सदस्यताधारियों को आवेदन करने पर आई सी एस आई के फाइनल के सभी प्रश्नों में, तीन प्रश्न पत्रों अर्थात् निगम विधि और पद्धति -I, निगम विधि और पद्धति–II और निगम विधि और पद्धति–III को छोड कर, शेष में छूट देने की सहमति दे दी है। आशा है कि औपचारिक रूप से शीघ्र ही इस सहमति पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

2.9 नेशनल लॉ स्कूल आफ इण्डिया यूनीवर्सिटी के साथ सहमति ज्ञापन

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनीवर्सिटी के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संयुक्त रूप से कार्यशालाओं और विचार गोष्ठियों के आयोजन, अनवरत शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जर्नलों, पाठ्यक्रम सामग्री, केस अध्ययन, अनुसंधान प्रकाशनों और अन्य अकादमिक एवं अनुसंधान सामग्री की अदला बदली, डाक द्वारा शिक्षा कार्यक्रम के अधीन संयुक्त रूप से अध्ययन सामग्री तैयार करने, संकाय–विनियम, बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय आदि जैसी सुविधाओं में सहभागी होने के बारे में सहमति हो गई है। एन एल एस आई यू ने अपने पी० एच० डी० पाठ्यक्रम के लिए कम्पनी सचिवीय अर्हता और सदस्यता को मान्यता प्रदान कर दी है।

2.10 सी सी एल एस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

कम्पनी कार्य विभाग के आदेश पर इंस्टीट्यूट ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा के अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस सेवा के सभी क्षेत्रों से आए अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और सभी भागीदारों एवं कम्पनी कार्य विभाग ने अत्यंत सराहना की।

2.11 स्टॉक एक्सचेंजों के लिए आदर्श उप-नियम

सेबी के आदेश पर इंस्टीट्यूट ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अनुच्छेदों का प्रारूप और आदर्श उपनियमों का प्रारूप तैयार किया तथा सेबी को प्रस्तुत किया। इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत किए प्रारूपों पर सेबी द्वारा स्थापित एक समिति विचार कर रही है।

2.12 बेलापूर, नवी मुम्बई में अनुसंधान केन्द्र (सी सी आर टी)

नवी मुम्बई में सी सी आर टी के भवन निर्माण कार्य तथा फर्नीचर की व्यवस्था का काम पूरा हो गया है और कुछ आखिरी छोटे मोटे काम समाप्ति पर हैं। केन्द्र अब अपना काम काज शुरू करने के लिए तैयार है और प्रस्ताव है कि सितम्बर/अक्तूबर 1998 में इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। यह केन्द्र शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशनों के माध्यम से उत्तम प्रकार के कम्पनी व्यावसायिकों को तैयार करने के लिए समर्पित है और यह निगम विधि, कराधान, आर्थिक विधान, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान प्रदान करने का श्रेष्ठ स्थान बनेगा। निवासी ओर अनिवासीय प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के अलावा केन्द्र आने वाले समय में निगम जगत की बदलती आवश्यकताओं पर परामर्शी सेवाएं तथा अनुसंधान परियोजना के कार्य को हाथ में लेगा।

2.13 कम्प्यूटरीकरण और ई-मेल

विद्यार्थियों, सदस्यता और प्रशिक्षण सेवाओं संबंधी कम्प्यूटरीकरण का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। इंस्टीट्यूट ने ई–मेल की सुविधाएं भी प्राप्त कर ली हैं। सामान्य जनता और विदेशी संस्थागत निवेशकों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, भारत में व्यापार करने की इच्छुक विदेशी कम्पनियों को सूचना प्रदान करने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार हो रहा है, जिस पर इंस्टीट्यूट की गतिविधियों और हमारे सदस्यों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी।

2.14 शाखा गाइडलाइनों का पुनरीक्षण

पिछले वर्षों में 1983 में तैयार की गई शाखा का गाइडलाइनों के बारे में इनके कार्यान्वयन के आधार पर प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में इनमें विस्तृत रूप से संशोधन किया गया है।

2.15 पूंजी-बाजार और वित्तीय सेवाओं में पश्च सदस्यता अर्हता पाठ्यक्रम

31 मार्च 1998 को पूंजी–बाजार और वित्तीय सेवाओं में पश्च सदस्यता अर्हता पाठ्यक्रम के लिए इंस्टीट्यूट के 310 सदस्यों के नाम दर्ज थे। पी एम क्यू पाठ्यक्रम की दूसरी परीक्षा अक्तूबर 1997 में चार केन्द्रों–कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में आयोजित हुई। ग्रुप–एक में तीन सदस्यों और ग्रुप–दो में एक सदस्य को परीक्षा में सफल घोषित किया गया। इस परीक्षा में बैठे 57 सदस्यों में से एक सदस्य ने लिखित परीक्षा के दोनों ग्रुपों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भाग–एक पूरा कर लिया है। इस वर्ष कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में दो दिवसीय चार पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए गए।

3. परिषद

3.1 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

परिषद की 105 वीं बैठक 1 जनवरी 1998 को हुई जिसमें 1 जनवरी 1998 से एक वर्ष के लिए श्री बी0 पी0 धनुका को अध्यक्ष और श्री वीरेन्द्र गण्डा को उपाध्यक्ष चुना गया।

3.2 बैठकें

समिति की विभिन्न बैठकों के अलावा परिषद ने 1997–98 के दौरान आठ बैठकें आयोजित कीं।

3.3 समितियां आदि

परिषद द्वारा गठित विभिन्न समितियों, विशेषज्ञ ग्रुपों ओर परामर्शी बोर्डों का विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

4. व्यावसायिक विकास और अनवरत शिक्षा कार्यक्रम

1997–98 के दौरान नौ व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें रजत जयंती राष्ट्रीय सम्मेलन और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी शामिल है। इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ख' में विस्तृत विवरण दिया गया है।

5. क्षेत्रीय परिषदें और शाखायें

5.1 क्षेत्रीय परिषदें

चारों क्षेत्रीय परिषदों ने बड़े उत्साह और जोश से अपनी गतिविधियां और कामकाज को चला कर परिषद को अपना समर्थन और सहायता देना जारी रखा। क्षेत्रीय परिषदों ने कैरियर मेलों, फोन–इन कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं, एस. एम. टी. कार्यक्रमों, मौखिक शिक्षण कक्षाओं, विद्यार्थी मार्गनिर्देशी बैठकों, अध्ययन सर्किल कक्षाओं और क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। ये परिषदें पुस्तकालयों को भी व्यापक रूप से अद्यतन रखने, समाचार–बुलेटिन प्रकाशित करने और आंकड़े रखते हुए रोजगार सेवाएं प्रदान करने, सदस्यों, विद्यार्थियों को जानकारी देने, इंस्टीट्यूट के प्रकाशनों की बिक्री करने का काम भी कर रही हैं। परिषद के निर्देशानुसार, मुख्यालय द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण कर 1997–98 के दौरान उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद तथा अन्य क्षेत्रीय परिषदों और प्रमुख शाखाओं में दूसरे चरण में किया गया है। 31 मार्च 1998 को क्षेत्रीय परिषद की रिजर्व और अधिशेष राशि तथा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों और विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

मद		पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद
वित्तीय स्थिति:					
(1)	अधिशेष 1997–98 रू0	24859	1347150	135178	29824
(2)	रिजर्व	1353095	3440731	1602031	272405
नियमित पाठयक्रम के विद्यार्थियों की संख्या					
–31–03 1998 को		23855	52990	34792	34294
–31–03 1997 को		20525	45385	29231	31624
–1997–98 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत		16.22	16.75	19.02	8.44
फाउंडेशन पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की संख्या					
–31 मार्च 1998 को		8346	29972	9531	11370
–31 मार्च 1997 को		9837*	31206*	10493*	11898*
–1997–98 के दौरान वृद्धि		15.21	3.96	9.17	4.44
का प्रतिशत					
सदस्यों की संख्या					
–31 मार्च 1998 को		1405	3184	3112	4068
–31 मार्च 1997 को		1348	3007	3026	3963
–1997–98 के दौरान वृद्धि		4.23	5.88	2.84	2.64
का प्रतिशत					

* तीन वर्षों की वैध अवधि को हिसाब में लेने के बाद यह संख्या निकली है।

5.2 शाखायें

1997–98 के दौरान इंस्टीट्यूट की सभी 36 शाखाओं की प्रबंध समितियों के पदाधिकारी चुने गए और कंपनी सचिव विनियमावली, 1982 तथा सचिव शाखाओं की मार्ग–निर्देशिका 1983 (31.12.1997 तक यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उनका पुनर्गठन किया गया। इस वर्ष के दौरान शाखाओं में विद्यार्थियों को शिक्षण, मौखिक शिक्षण और प्रशिक्षण देने तथा सदस्यों के लिये व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करने की अनेक गतिविधियां संपन्न की गईं। इस वर्ष मंगलौर शाखा ने अपने कार्यस्थल की खरीद की। आज तक जिन शाखाओं के अपने कार्यस्थल हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:–

अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, कोचीन, डोम्बीवली, गाजियाबाद, गोआ, हैदराबाद इन्दौर, जयपुर, कानपुर, मंगलौर, पुणे और वडोदरा।

5.3 सर्वोत्तम शाखा पुरस्कार

1996 के सर्वोत्तम शाखा पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित 25 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में निम्नलिखित शाखाओं को दिये गये:

सर्वोत्तम राष्ट्रीय शाखा पुरस्कार

कानपुर और जयपुर (संयुक्त विजेता)

सर्वोत्तम क्षेत्रीय शाखायें

पूर्व–भुवनेश्वर और रांची (संयुक्त विजेता)

उत्तर–कानपुर और जयपुर (संयुक्त विजेता)

दक्षिण–हैदराबाद

पश्चिम–पुणे

5.4 सैटेलाइट शाखाएं

इंस्टीट्यूट की परिषद ने सभी चारों क्षेत्रों में सदस्यों और विद्यार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए सैटेलाइट शाखाओं के गठन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं। आज की तारीख तक निम्नलिखित स्थानों पर 16 सैटेलाइट शाखाओं का गठन किया जा चुका है।:

उत्तर – आगरा, इलाहाबाद, बरेली, ब्यावर, भीलवाडा, गुड़गांव, जोधपुर, मेरठ, वाराणसी, यमुना नगर,

दक्षिण – हुबली–धारवाड़, कोट्टयम, त्रिचुर, विजयवाड़ा,

पश्चिम – नासिक, रायपुर

इंस्टीट्यूट की सैटेलाइट शाखाओं में अध्ययन सामग्री, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल, स्टूडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी, फाउंडेसन कोर्स बुलेटिन और सभी क्षेत्रीय परिषदों के न्यूज़ बुलेटिन तथा इंस्टीट्यूट के अन्य प्रकाशन उपलब्ध हैं।

6. सदस्य

6.1 नए प्रवेश

इस वर्ष 612 एसोसिएट सदस्य तथा 230 फैलो सदस्यों को प्रविष्ट किया गया। 31 मार्च 1998 को इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में 11759 सदस्य दर्ज थे, जिनमें से 8713 एसोसिएट और 3046 फैलो सदस्य थे। 31 मार्च 1998 को विदेशों में रहने वाले सदस्यों की संख्या 185 थी। इस वर्ष के दौरान परिषद को 13 सदस्यों की मृत्यु की सूचना देते हुए दुख है।

इस वर्ष 232 सदस्यों को प्रेक्टिस प्रमाण पत्र जारी किए गए। 31 मार्च 1998 को प्रेक्टिस प्रमाणपत्रधारियों की संख्या 1056 थी।

31 मार्च को सदस्यों की संख्या

	1994	1995	1996	1997	1998
एसोसिएट	7119	7598	8012	8481	8713
फैलो	2209	2408	2653	2863	3046
प्रैक्टिस प्रमाण पत्रधारी	699	735	799	887	1056

6.2 सदस्यों/मतदाओं की सूची

कम्पनी सचिव विनियमावली 1992 के विनियम 161 के साथ पठित कम्पनी सचिव अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसरण में 1 अप्रैल 1997 की स्थिति के अनुसार सदस्यों की पूरक सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें कुछ अतिरिक्त सूचना दी गई है–जैसे सदस्यों के व्यवसाय/निवास के पते, जन्म तिथि टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, सेल्युलर, पेजर नं.। सदस्यों को यह सूची उनके अनुरोध पर सप्लाई की जाती हैं सदस्यों के बीच बेहतर संप्रेषण तथा परस्पर विचार विमर्श के लिए अतिरिक्त सूचना सूची में शामिल की गई है। पहली बार सदस्यों और अन्य के लिए सदस्यों की सूची क्षेत्रवार फ्लापी में तैयार कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा सदस्यों की सूची के अलावा चुनाव 1997 के दौरान मतदाता सूची प्रकाशित की गई।

6.3 सामान्य

सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के प्रयास में सदस्यता अनुभाग के कार्य को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। अधिकांश सेवाएं/सूचनाएं कम्प्यूटर के माध्यम से दी/पुनः प्राप्त की जा रही है। इससे सदस्यों के विवरण में होने वाले परिवर्तन का काम तेजी से हो जाता है। चार्टर्ड सेक्रेटरी पत्रिका को डाक से भेजने के लिए लेबलों का काम अभी तक बाहर से कराया जाता था; इसे अब मुख्यालय में ही किया जा रहा है। प्रेक्टिस प्रमाण पत्र जारी करने के काम को भी सुधारा गया है।

7. चुनाव

दिसम्बर 1997 में केन्द्रीय परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए और 22 दिसम्बर 1997 को परिणामों को अधिसूचित कर दिया गया। केन्द्रीय परिषद के चुनावों में 12 सीटों के लिए 25 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और चार क्षेत्रीय परिषदों में 36 सीटों के लिए 86 उम्मीदवार मैदान में थे।

मतगणना का कार्य राज्य सभा के दल ने किया, जिसका नेतृत्व श्री एन.एस. वालिया, अवर सचिव ने किया।

8. प्रकाशन

"चार्टर्ड सेक्रेटरी"

1971 में इस जर्नल का प्रकाशन एक सामान्य स्तर पर तिमाही जर्नल के रूप में शुरू हुआ था, जिसके प्रकाशन की अवधि 1972 में बढ़ा कर मासिक जर्नल के रूप में कर दी गई। अब इस जर्नल का प्रकाशन 28वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। व्यावसायिक जर्नल के रूप में इसे बहुत ऊंचे स्थान पर माना जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों से चाहे वह उद्योग हो, या वाणिज्यिक अथवा व्यापार हो तथा अन्य व्यावसायिकों ने भी इसे सामयिक विषयों पर ज्ञानवर्धक लेखों का उच्च श्रेणी का प्रकाशन कह कर सराहा है जिसके द्वारा सरकारी अधिसूचनाओं, कानूनी निर्णयों आदि की शीघ्र जानकारी मिल जाती है। एक तरफ इंस्टीट्यूट और दूसरी तरफ सदस्यों एवं इंस्टीट्यूट के साथ सम्पर्क करने वाले अन्य लोगों के बीच संप्रेषण का प्रभावकारी माध्यम है। समीक्षाधीन वर्ष में जर्नल के तीन विशेषांक प्रकाशित किये जिनका विषय था–केन्द्रीय बजट–अप्रैल 1997; कार्पोरेट गवर्नेस – मई 1997 और मर्जर एंड एक्वीजीशंस–अक्तूबर

1997, जिनके बारे में निगम व्यावसायिकों ने बड़ी सराहना की उन्होंने इन अंकों का बहुत स्वागत किया है। विशेष रूप से कार्पोरेट गवर्नेंस विशेषांक को स्वयं सर केडबरी ने श्रेष्ठ अंक कह कर सराहना की; इस अंक में सुप्रसिद्ध केडबरी समिति के सर एडरिन केडबरी सहित सुविख्यात विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित किए गए थे।

9. विशेषज्ञ परामर्शी ग्रुप

इस वर्ष सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों तथा सरकार एवं अन्य निकायों द्वारा गठित समितियों/अध्ययन ग्रुपों को दिए जाने वाले अभ्यावेदनों को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से सदस्यों/विशेषज्ञों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए निगम विधि, पूंजी बाजार, कराधान और लेखांकन तथा वित्त में विशिष्टता प्राप्त विशेषज्ञों के कोर ग्रुप का पुनर्गठन किया गया।

10. व्यवसाय को प्राप्त मान्यताएं

इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सेबी द्वारा गठित प्राइमरी मार्केट संबंधी परामर्श समिति के सदस्य बने रहे।

11. विद्यार्थी सेवाएं

11.1 नियमित पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण

पिछले पांच वर्षों में पंजीकृत विद्यार्थी

1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998
16601	25032	37067	40311	30431

पिछले पांच वर्षों में वर्तमान विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि

31 मार्च 94	31 मार्च 95	31 मार्च 96	31 मार्च 97	31 मार्च 98
65385	77627	101099	126909	145931

1997–98 के दौरान 30431 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया जबकि 1996–97 में 40311 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था। 31 मार्च 1998 को विद्यार्थियों की चालू पंजीकरण संख्या 145931 है, जिनमें वे 775 विद्यार्थी शामिल हैं, जिनका पंजीकरण विनियम 21(3) के अधीन किया गया। परिशिष्ट 'ग' में उन विद्यार्थियों की संख्या दी है, जिन्होंने फाउण्डेशन, इन्टर और फाइनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं।

11.2 फाउंडेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश

पिछले पांच वर्षों में पंजीकृत विद्यार्थी

	1993–1994 (7 महीने)	1994–95	1995–1996	1996–1997	1997–1998
पंजीकृत विद्यार्थी	7470	16415	22451	24464	18983

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप इंस्टीट्यूट ने 20 अगस्त 1993 से 10+2 विधार्थियों के लिए फाउण्डेशन पाठ्यक्रम शुरू किया। रिपोर्टाधीन वर्ष में फाउण्डेशन पाठ्यक्रम में 18983 विधार्थियों को प्रवेश दिया गया। 31.3.1998 तक 89783 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका था। फाउण्डेशन पाठ्यक्रम की परीक्षा पहली बार 1994 में हुई थी। जून और दिसम्बर 1997 के दो सत्रों में आयोजित फाउण्डेशन परीक्षा में क्रमशः 1640 और 1623 परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। 31-3-1998 को फाउउंडेशन पाठ्यक्रम के पंजीकृत विधार्थियों की वर्तमान संख्या 57219 थी।

11.3 शिक्षण

1997–98 में फाउंडेशन पाठ्यक्रम तथा अन्य नियमित पाठ्यक्रमों में जिन विद्यार्थियो ने प्रवेश लिया, उन सभी के नाम अनिवार्यतः डाक शिक्षण के लिए भी दर्ज किए गए और उन्हें अध्ययन सामग्री दी गई। इस वर्ष शिक्षण समाप्ति पर 39088 प्रमाण पत्र जारी किए गए और फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया तथा विद्यार्थियों को वापस की गईं इस वर्ष विद्यार्थियों को सेवा प्रदान करने संबंधी गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने की दिशा में पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद को छोड़ कर सभी क्षेत्रीय परिषदों में इंटरमीडिएट पाठ्य क्रम की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की सुविधा दी गई है। दक्षिणी भारतीय क्षेत्रीय परिषद में फाइनल पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थानीय मूल्यांकन की भी सुविधा रही है। आशा है कि पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद में भी फाइनल पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थानीय मूल्यांकन की सुविधा शीघ्र शुरू हो जाएगी।

11.4 स्टूडेंट कम्पनी सेक्रेटरी

इंस्टीट्यूट कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विधार्थियों के लाभ के लिए नियमपूर्वक अपना मासिक बुलेटिन 'स्टूडेंट कम्पनी सेक्रेटरी' प्रकाशित करता है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं सहित कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम के प्रशासन के संबंध में हुए विधायी संशोधनों, अध्ययन और सूचना के बारे में जानकारी देना है। यह बुलेटिन नियमित रूप से अध्ययन कर रहे सभी वर्तमान विधार्थियों को निःशुल्क भेजा जाता है जिनकी संख्या 145000 से अधिक है।

11.5 कम्पनी सचिव फाउंडेशन पाठ्यक्रम बुलेटिन

फाउंडेशन पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी, जो अपने कैरियर के मोड़ पर खड़े होते हैं, इंस्टीट्यूट अलग से एक कम्पनी सचिव फाउंडेशन पाठ्यक्रम बुलेटिन प्रकाशित करता है। यह द्विमासिक बुलेटिन है जिसका प्रकाशन जनवरी 1994 से चल रहा है। इसे भी फाउंडेशन पाठ्यक्रम के 57,000 से अधिक वर्तमान विधार्थियों को निःशुल्क भेजा जाता है।

11.6 कम्पनी सचिव गाइड — अध्ययन और परीक्षा

विद्यार्थियों को इस बारे में मार्गदर्शन देने के लिए कि वे किस तरह से कम्पनी सचिवों की परीक्षा के लिए अध्ययन और तैयारी करें, इंस्टीट्यूट ने एक मात्र विद्यार्थियों के लिए एक प्रकाशन – 'ए गाइड टू कम्पनी सेक्रेटरीशिप – स्टडी एंड एक्जामिनेशन' प्रकाशित किया। विद्यार्थी समुदाय को सेवाएं प्रदान करने के लिए यह पुस्तिका उन सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाती है, जिनका पंजीकरण कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम के लिए 1 जुलाई 1992 के आगे हुआ है।

11.7 लाइसेंसधारी — आई सी एस आई

रिपोर्टाधीन अवधि में इंस्टीट्यूट में 262 लाइसेंसधारी–आई सी एस आई प्रविष्ट किए गए। 31.3 1998 को लाइसेंसधारिता के लिए जितने आई सी एस आई लाइसेंसधारी वैध थे, उनकी संख्या 532 थी।

11.8 पात्र परीक्षा योजना

विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के बारे में इंस्टीट्यूट की नीति के अनुरूप इंस्टीट्यूट ने 1.1.1998 से पात्र परीक्षा शुरू की गई है। इस योजना की विशेषता यह है कि विद्यार्थी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा रविवारों एवं छुट्टियों में आयोजित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर अपना शिक्षण पूरा कर सकते हैं। यह सुविधा कार्यरत विद्यार्थियों के लिए वरदान है, जो न तो मौखिक कक्षाओं में उपस्थित होकर मौखिक शिक्षण प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं और न ही इनके पास अनिवार्य डाक शिक्षण योजना के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाएं भेजने का पर्याप्त समय होता है।

11.9 मौखिक शिक्षण कक्षाएं

क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं/सैटेलाइट शाखाओं और आई सी एस आई के सहयोगी मौखिक शिक्षण केन्द्रों द्वारा विद्यार्थियों के लिए मौखिक शिक्षण कक्षाओं की सुविधा पूरे भारत में 60 केन्द्रों पर दी जा रही है। इसके अलावा उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद में अधिक अवधि की मौखिक शिक्षण कक्षाएं आयोजित की गईं।

11.10 पुस्तकालय सुविधायें

इस वर्ष मुख्यालय की पुस्तकालय सहायता योजना के अन्तर्गत शाखा – पुस्तकालयों को 81,939 रुपये की पुस्तकें दी गईं। निदेशक – अध्ययन ने फाउण्डेशन, इण्टरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकालय सहायता योजना के अन्तर्गत खरीद के लिए संदर्भ ग्रंथों की सूची भी अद्यतन की है। इसके अलावा, सभी क्षेत्रीय परिषदों को परामर्श दिया है कि वे मौखिक कक्षाओं से बची धनराशि के कुछ अंश का उपयोग पुस्तकालय/बुनियादी ढांचे को अद्यतन करने के लिए करें।

11.11 परीक्षा प्रश्न-पत्रों के मार्ग निर्देशी उत्तर

1997–98 में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल पाठयक्रमों की परीक्षाओं के सभी विषयों के जून 1997 तथा दिसंबर 1997 की परीक्षाओं के मार्गदर्शी उत्तर प्रकाशित किये गये और समय पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गये।

11.12 अध्ययन सामग्री का संशोधन/अद्यतनीकरण और संभावित उत्तर

फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री का नियमित रूप से संशोधन/अद्यतन किया जा रहा है। जिन विषयों को अद्यतन बना लिया जाता है, विद्यार्थियों को इसकी सूचना 'स्टूडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी' और सी एस फाउण्डेशन कोर्स बुलेटिन' के जरिए भी की जाती है। इसके अलावा, परीक्षा के लिए सुसंगत अध्ययन में हुए महत्त्वपूर्ण संशोधनों/परिवर्तनों को शामिल करते हुए कुछ विषयों पर पूरक पाठों की भी व्यवस्था की जाती है।

11.13 विषय-वार, सत्र-वार प्रश्न

इंस्टीट्यूट की फाउण्डेशन, इन्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की विषय--वार, सत्र--वार अद्यतन पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया; जून 1994 से दिसम्बर 1997 तक के पिछले आठ सत्रों के उक्त पाठ्यक्रमों की पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं।

11.14 पाठ्यक्रम पुनरीक्षण

पाठ्यक्रम पुनरीक्षण समिति ने उभरते परिदृश्य के प्रसंग में पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण किया और अपनी सिफारिशें कीं। पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर अन्तिम रिपोर्ट का प्रारूप परिषद के अवलोकनार्थ तथा विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है।

12. परीक्षाएं

12.1 परीक्षाओं का आयोजन

1997–98 के दौरान जून और दिसंबर 1997 में देश भर में 49 केन्द्रों पर कम्पनी सचिवों की फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षायें आयोजित की गईं। एक केन्द्र विदेश (दुबई) में भी था। 1997–98 के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

परीक्षा सत्र

परीक्षा	जून 1997	दिसंबर 1997
फाउंडेशन	1640	1623
इंटरमीडिएट	1065	1295
फाइनल	365	343

परीक्षा संबंधित आंकड़े इस रिपोर्ट के परिशिष्ट ''ग'' में दिये गये हैं।

12.2 पश्च सदस्यता अर्हता पाठ्यक्रम परीक्षा का आयोजन

रिपोर्टाधीन वर्ष में पश्च सदस्यता अर्हता परीक्षा (पी. एम. क्यू) का आयोजन अक्तूबर 1997 में कलकत्ता चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में चार केन्द्रों में किया गया। पश्च सदस्यता अर्हता परीक्षा का परिणाम इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

12.3 अखिल भारतीय पुरस्कार

जून और दिसंबर 1997 की परीक्षाओं के लिए अखिल भारतीय प्रेजीडेंट पुरस्कार निम्नलिखित विद्यार्थियों को दिये गये:

पाठ्यक्रम	जून 1997	केन्द्र	दिसंबर 1997	केन्द्र
इंटरमीडिएट	श्री यतीन मलहोत्रा	दिल्ली	श्री नीतिन डागा	कलकत्ता
फाइनल	सुश्री फरजाना सैम बिल्लीमोरिया	मुम्बई	सुश्री सुधा एम नागराज	चेन्नई

कलकत्ता के श्री अनिल डालमिया और दिल्ली के श्री तरूण प्रकाश अग्रवाल ने पं0 नेहरू जन्म शताब्दी वार्षिक पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता। पुरस्कार विजेताओं के नाम तथा अखिल भारतीय पुरस्कार योजनाओं तथा क्षेत्रीय पुरस्कार योजनाओं के ब्यौरे 'स्टूडेंट कम्पनी सेक्रेटरी' बुलेटिन में प्रकाशित किये गए।

12.4 योग्यता प्रमाणपत्र/योग्यता छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता

जून और दिसंबर 1997 सत्रों की फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के प्रथम सर्वोच्च 25 रैंक पाने वाले तथा फाइनल परीक्षा में सर्वोच्च 10 रैंक पाने वाले परीक्षार्थिओं को योग्यता प्रमाण दिए गए।

योग्यता छात्रवृति योजना के अधीन जून और दिसंबर 1997 सत्रों में इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सर्वोच्च 15 रैंक के परीक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं। इसी प्रकार योग्यता–व–साधन सहायता योजना के अधीन सुपात्र विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई।

13. प्रशिक्षण

13.1 पैनल बनाना

इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए और अधिकाधिक कम्पनियों को पैनल पर लाने के लिए प्रशिक्षण निदेशालय ने देश भर में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों की सूची में दर्ज विभिन्न कम्पनियों से सम्पर्क करने के अलावा अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीकृत तथा अन्य बैंकों से भी सम्पर्क साधा। 1997–98 के वित्तीय वर्ष दौरान प्रबंध प्रशिक्षण देने के लिए 141 कम्पनियों को पैनल पर रखा और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के

लिए 122 कमपनियों को पैनल पर रखा। इस अवधि में प्रशिक्षु प्रशिक्षण देने के लिए 36 कम्पनी सचिवों को मान्यता प्रदान की गई। 31 मार्च 1998 को प्रबंध प्रशिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए क्रमशः 1621 और 1924 कम्पनियां हमारे पैनल पर थीं और प्रशिक्षु प्रशिक्षण देने के लिए 318 कम्पनी सचिव थे।

इसके अलावा, विभिन्न कम्पनियों में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए प्रशिक्षण निदेशालय ने इंस्टीट्यूट में ही फरवरी 1998 से साक्षात्कार लेना शुरू कर दिया है। विद्यार्थियों और कम्पनियों दोनों की सहायता करने के उद्देश्य से ये साक्षात्कार लिए जा रहे हैं।

13.2 प्रशिक्षण प्रदान करना

1997–98 के दौरान 333 विद्यार्थियों को प्रबंध प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 301 विद्यार्थियों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षु प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 72 थी। प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों द्वारा इंटरमीडिएट/फाइनल परीक्षा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

13.3 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

1997–98 के दौरान मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों ओर ए तथा ए–1 ग्रेड की शाखाओं ने 14 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण पकार्यक्रमों का आयोजन किया और 436 विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया।

इंस्टीट्यूट ने 22.9.97 से 9.10.97 तक दो सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें ऐसा ही एक मॉडल कार्यक्रम भी शामिल था। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने का उद्देश्य सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले अन्य केन्द्रों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करना था और अर्जित ज्ञान तथा वास्तव में कार्य करने की स्थिति में इनके प्रयोग के बीच एक सेतु बनाना भी था। कार्यक्रम के लिए नाम दर्ज कराने वाले सभी 42 सहभागियों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। व्यावसायिक आचरण और नैतिकता पर 'कोड आफ कंडक्ट फार कम्पनी सेक्रेटरीज' शीर्षक से एक ब्रोशर का प्रकाशन किया गया, जिसे इन कार्यक्रमों के ऐसे सभी सहभागियों में वितरित किया जो इंस्टीय्यूट की सदस्यता ग्रहण करने ही वाले हैं।

समसामयिक परिवर्तनों की जानकारी में पीछे न रह जाने को ध्यान में रखते हुए एस एम टी पी के पाठ्य–विवरण को पुनर्गठित किया गया, जिसमें व्यवसाय से संगत और नए क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया।

14. जनसम्पर्क और नियोजन

14.1 1997–98 में प्रेस और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जन सम्पर्को और जनसंबंधों के कारण कहीं अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ और ट्रेड, उद्योग तथा निगम क्षेत्र में व्यवसाय की कहीं अधिक स्वीकार्यता प्राप्त करने में योगदान मिला। अखिल भारतीय आधार पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रमुख समाचार पत्रों में उनके शिक्षा और कैरियर पृष्ठों में कम्पनी सचिव के व्यवसाय की पूरी व्यापक जानकारी देने वाली विशेषताएं समय समय पर प्रकाशित होती रहीं। इसके अलावा संबंधित विषयों पर इंस्टीट्यूट की विभिन्न विचार गोष्ठियों/गतिविधियों एवं प्रतिक्रियाओं के बारे में जारी प्रेस विज्ञप्तियों के द्वारा भी मीडिया में व्यापक प्रचार हुआ। विभिन्न प्रेस सम्मेलनों के लिए क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को प्रेस नोट के साथ प्रचार सामग्री भी भेजी गई। 30 अप्रैल 1997 को दूरदर्शन की मैट्रो चैनल– 2 पर प्रातः 7.30 बजे प्रसिद्ध कार्यक्रम गुडमोर्निंग टुडे में कम्पनी सेक्रेटरीशिप पर पूरा कार्यक्रम प्रसारित कराने में निदेशालय को सफलता मिली। 17 मई 1997 को जी टी.वी पर "हम होंगे कामयाब" कार्यक्रम में भी एक कार्यक्रम "वित्तीय सेवाओं" के नाम से प्रसारित हुआ!

25 अगस्त 1997 को नए कम्पनी विधेयक, 1997 पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की प्रतिक्रियाएं एल टीवी पर उनके कार्यक्रम बिजनेस इण्डिया में प्रसारित की गई। यह कार्यक्रम दुबई, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, और यूरोप के देशों में भी दिखाया गया, जहां जी टी.वी का व्यापक नेटवर्क फैला हुआ है। इसी प्रकार के प्रसारण एशियन बिजनेस

न्यूज इण्डिया (ए बी एन आई) और एशियन न्यूज इन्टरनेशनल (ए एन आई) ने भी प्रसारित किए। 12 जून 1997 को कम्पनी विधेयक पर आयोजित विचारगोष्ठी के बारे में प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ए बी एन आई और जी टी. वी पर व्यापक रूप से रिपोर्टिंग हुई। दूरदर्शन, आकशवाणी, ई ई एन ए डी यू टी.वी, सिटी केबल, बी आई टी.वी (टीवीआई) पर तथा समाचार पत्रों में भी रजत जयंती राष्ट्रीय सम्मेलन और सम्मलेन की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस सम्मेलन को बहुत अच्छा स्थान मिला।

इस वर्ष आकाशवाणी पर 'लाइव फोन इन कार्यक्रमों' और विभिन्न कैरियर मेलों में भागीदारी भी एक विशेषता रही। पूरे देश में 26 अगस्त 1997 और 26 फरवरी 1998 को कम्पनी सचिव पत्रों में प्रकाशित किए गए। निदेशालय ने कम्पनी सेक्रेटरीज इन प्रेक्टिस और कोड आफ कंडक्ट फार कम्पनी सेक्रेटरीज पर प्रकाशित ब्रोशरों के डिजाइन और प्रकाशन का भी समन्वय किया। जनवरी 1998 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी समाचार प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए तथा यूनीवार्ता के माध्यम से अध्यक्ष का सन्देश भी प्रकाशित हुआ। 26 फरवरी 1998 को 'इन्वेस्ट टाइम्स' के दौरान टाइम्स एफ एम चैनल पर व्यवसाय से संबंधित अध्यक्ष का साक्षात्कार प्रसारित किया गया।

14.2 नियोजन

इस वर्ष रोजगार अवसरों को और बढ़ाने की दृष्टि से नियोजन प्रकोष्ठ में पंजीकृत सदस्यों के बायो डाटा उनकी समुचित नियुक्ति के लिए 300 से अधिक (प्राइवेट, सरकारी और बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों) संस्थाओं और कैरियर परामर्शदाताओं को भेजे गए। प्रमुख समाचार पत्रों और बिजनेस मैगज़ीनों से कम्पनी सचिव पद के विज्ञापनों का संकलन किया गया और इंस्टीट्यूट के सदस्यों की सूची संबंधित प्राइवेट/सरकारी संस्थाओं को विचारार्थ भेजी गई। अखिल भारतीय आधार पर कम्पनी सचिवों की विभिन्न रिक्तियों/अवसरों की जानकारी कार्यालय में आने वाले सदस्यों को नियमित रूप से दी जाती रही। अनेक संस्थाओं से कम्पनी सचिव के पद के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई की गई। जिन संस्थाओं ने केवल सी ए, आई सी डब्ल्यू ए और एम बी ए (वित्त) के लिए विज्ञापन दिया, उनसे अनुरोध किया कि वे इन्टीग्रेटेड कार्पोरेट मैनेजर के रूप में कम्पनी सचिवों को भर्ती करें/भर्ती करने पर विचार करें। जिन सदस्यों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और जिन्हें इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित किए जाने पर समुचित नौकरी मिली उनसे जो वापसी–जानकारी मिली वह सकारात्मक है।

15. लेखे

15.1 अधिशेष

व्यय पर अंकुश लगाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप 1997–98 के लेखों के अंत में 248.05 लाख रुपये का अधिशेष रहा, अधिशेष 367.19 लाख रुपये था।

15.2 रिजर्व

(क) पूंजी रिजर्व

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के पूंजी रिजर्व का पूंजीकरण किया गया है। यह राशि 31 मार्च 1998 को 50.74 लाख रुपये थी, जबकि 31 मार्च 1997 को यह राशि 39.44 लाख रुपये थी।

(ख) सामान्य रिजर्व

पिछले वर्ष 31 मार्च 1997 को जो सामान्य रिजर्व 1381.49 लाख रुपये था, वह अब बढ़ कर 31 मार्च 1998 को 1641.69 लाख रुपये हो गया है।

रिजर्व में वृद्धि

(लाख रुपयों में)

	31 मार्च 94	31 मार्च 95	31 मार्च 96	31 मार्च 97	31 मार्च 98
सामान्य रिजर्व	431.37	647.22	984.91	1381.49	1651.69
पूंजी रिजर्व	30.82	33.53	36.54	39.44	50.74

15.3 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 18(4) के अनुसरण में मैसर्स खन्ना एंड अन्नाधनम, चार्टर्ड एकाउंटेट्स नई दिल्ली को 31 मार्च 98 को समाप्त वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट का सांविधिक लेखा परीक्षक पुनः नियुक्त किया गया। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट लेखा विवरण के साथ प्रकाशित की गई है।

16. भूमि और भवन

16.1 आई सी एस आई — एन आई आर सी भवन

उत्तरी भारत क्षेत्र परिषद, अध्ययन निदेशालय और फाउण्डेशन सैल आई सी एस आई – एन आई आर सी भवन में कार्य कर रहे हैं; यह भवन 4, प्रसाद नगर इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली में है।

16.2 फरीदाबाद शाखा की भूमि

इस शाखा ने फरीदाबाद के सेक्टर 16ए में हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण (हूडा) से 3.65 लाख रुपये में 500 वर्ग गज का एक भूखंड खरीदा है। यद्यपि हूडा ने फरीदाबाद शाखा को आवंटन पत्र और कब्जे का पत्र जारी कर दिया था, परन्तु इस संपत्ति के बारे में कुछ पुराने विवाद के कारण हूडा ने इस भूखंड का कब्जा अभी शाखा को नहीं सौंपा है। हूडा ने एक दूसरा प्लाट अलाट करने और उसका कब्जा देने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ में हूडा के चेयरमैन के पास पड़ा है।

16.3 नौयडा शाखा के लिए भूमि

इंस्टीट्यूट ने 1375 वर्ग मीटर भूमि का एक प्लाट नौयडा के सैक्टर 62, फेज–2, इंस्टीट्शनल एरिया में 34.38 लाख रुपये में खरीदा है। इंस्टीट्यूट ने इसका कब्जा ले लिया है और भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।

16.4 मंगलौर शाखा परिसर

इंस्टीट्यूट ने मंगलौर शाखा के लिए प्रेस टावर, दूसरी मंजिल, बेजई, मंगलौर में बना बनाया परिसर खरीदा है, जिसकी कुल लागत 7.18 लाख रुपये है। नए कार्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन इंस्टीट्यूट के तत्कालीन अध्यक्ष श्री डी.के. प्रहलाद राव ने 23 दिसम्बर 1997 को किया।

17. शाखाओं को पूंजीगत अनुदान और ऋण

17.1 इंस्टीट्यूट ने अपनी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को 31 मार्च 1998 तक अपना कार्यालय भवन ले लेने के लिए जो अनुदान और ऋण दिया है उसका ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) अनुदान 302.87 लाख रुपये

(ख) ऋण 242.27 लाख रुपये

इंस्टीट्यूट का प्रयास है कि क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा अपने काम काज के लिए भवन लेने के प्रयासों में उनकी सहायता करे और इस संबंध में पूरक राशि दे। कुछ क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में अपने कार्यालय स्थल/भवन परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए जबरदस्त प्रयास किये हैं। परिषद इन क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं द्वारा किये गए इन प्रयासों की प्रशंसा करती है।

18. कम्पनी सचिव हितकारी निधि (सी एस बी एफ)

18.1 सी एस बी एफ के आजीवन सदस्यों की संख्या 31 मार्च 1998 को 2526 थी। पिछले वर्षों में सदस्यों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ती रही है। 31 मार्च 1998 को पूंजी रिजर्व 46.29 लाख रुपये और सामान्य रिजर्व 11.97 लाख रुपये था।

18.2 इस निधि में और अधिक सदस्यों को प्रवेश कराने के लिए प्रयास जारी है। इससे वित्तीय संकट के समय सदस्यों को बेहतर वित्तीय सहायता तथा मृत्यु, लम्बी बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण कठिनाई में उनके परिवारों को और अधिक लाभ दिए जा सकेंगे। यह अपने आप में बीमा जैसा उपाए है। 1000 रुपये के आजीवन सदस्यता शुल्क को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट प्राप्त है।

19. मानव संसाधन विकास

19.1 आई सी एस आई का प्रबंधन आज के अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार जगत में व्यावसायिक सर्वश्रेष्ठता के महत्त्व से पूरी तरह अवगत है। आई सी एस आई मानता है कि सदस्यों, विद्यार्थियों और कम्पनी जगत के अन्य ग्राहकों को कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यावसायिक सर्वश्रेष्ठता का लक्ष्य प्राप्त करने में मानव विकास संसाधन की प्रमुख भूमिका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम के माध्यम से मानव संसाधन के विकास के लिए सभी तरह के प्रयास किए गए। विभिन्न वाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में अधिकारियों/कर्मचारियों को नामजद करने के अलावा स्वयं इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस प्रयास में कम्प्यूटर प्रयोग के क्षेत्र में इंस्टीट्यूट के 41 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।

समग्र रूप से 68 अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, जो इंस्टीट्यूट के स्टॉफ की कुल संख्या का 25 प्रतिशत बैठता है। इसके अलावा, अधिकारियों को व्यावसायिक निकायों के सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति इस दृष्टि से की गई कि इससे उन्हें अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों और उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह प्रोत्साहन मिल सके कि वे इस व्यवसाय के साथ अपने को जोड़ें। इस प्रकार इस वर्ष अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रबंधकीय प्रभावकारिता और काम काज करने में निपुणता को ऊंचा करने के लिए उनके ज्ञान में वृद्धि का उद्देश्य पूरा किया जा सका और साथ ही जहां तक सूक्ष्म स्तर तक मानव संसाधन की प्रभावकारिता और उत्पादन में वृद्धि का संबंध है, इससे यह उद्देश्य भी पूरा हुआ।

इस वर्ष सौहार्दपूर्ण संबंधों के बने रहने के फलस्वरूप वेतन संशोधन संबंधित बातचीत बड़ी शांतपूर्ण ढंग से हुई और सुचारू रूप से आपस में समझौता हो गया। इंस्टीट्यूट और आई सी एस आई कर्मचारी संघ के बीच समझौते के ज्ञापन पर 11 नवम्बर 1997 को हस्ताक्षर हुए, जिसमें संघ ने पुनः इस बात की पुष्टि की कि इंस्टीट्यूट के सभी संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए वे अपने कार्य निष्पादन में अधिक से अधिक कार्यकुशलता के लिए पूरा सहयोग देंगे और सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों का स्वस्थ वातावरण बनाये रखा जाएगा।

20. भावी दृष्टिकोण

उदारीकरण व्यापार और आर्थिक सुधारों में आए कानूनी पर्यावरण को देखते हुए कम्पनी सचिव का चेहरा बहुत तेजी से बदल रहा है। परिणामस्वरूप, कम्पनी सचिव की भूमिका अनुमोदन और अनुपालन से बदल कर प्रबन्धन में

बदल गई है। तदनुसार कम्पनी सचिव की छवि एक व्यापार प्रबंधक की छवि बन गई है जो किसी कम्पनी के कानूनी परामर्शदाता के रूप में कानूनी अनुपालनों के अपने प्रमुख क्षेत्र में कार्य करने के अलावा सामान्य प्रबंधन और वाणिज्यिक काम–काज का निर्वाह करने में समर्थ है। उदारीकरण और कम्पनियों के प्रबंधन में नियंत्रण हटाने तथा स्वय देश एव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कम्पनियों के प्रबंधन में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। अब इस बात पर बल दिया जाता है कि बाजार की ताकतों के आधार पर नए व्यापार वातावरण में प्रवेश करने के लिए साधन और उपाए खोजे जाएं। मुख्य दृष्टिकोण में भी बदलाव आने के बाद फ्लैट संगठनों ओर प्रबंधनों की तरफ ध्यान चला गया है जिसके अन्तर्गत संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की कल्पना उस पर होने वाले व्यय पर केन्द्रित रहती है और देखा जाता है कि कम्पनी को आगे बढ़ाने में उसका कितना योगदान रहता है। इस दिशा में इंस्टीट्यूट के शैक्षिक कार्यों को पुनर्गठित किया गया है ताकि सदस्यगण एक तरफ शीर्षस्थ प्रबंधन समूह के भाग के रूप में गतिशील भूमिका निभा सकें और दूसरी तरफ कानूनी प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ बने रहें।

21. आभार

परिषद केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों और विशेष रूप से कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 'सेबी' के प्रति उनके द्वारा इस वर्ष व्यवसाय और इंस्टीट्यूट की गतिविधियों के विकास में सहायता व मार्गदर्शन तथा समर्थन प्रदान करने के लिए आभार प्रगट करती है। परिषद विभिन्न राज्य सरकारों वित्तीय/औद्योगिक/निवेश संस्थानों/सामान्य रूप से निगम क्षेत्र और देश में विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कामर्स और ट्रेड एसोसिएशनों तथा अन्य एजेंसियों के प्रति भी आभार प्रगट करती है, जिन्होंने इंस्टीट्यूट के सदस्यों की सेवायें लेने में और निगम विधि, वित्त प्रबंधन तथा संबद्ध क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता को मान्यता प्रदान करने में लगातार रूचि बढ़ाई है। परिषद, क्षेत्रीय परिषद और इनकी शाखाओं द्वारा प्रदान की गई सहायता और सहयोग तथा इंस्टीट्यूट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी अपनी ओर से अत्यधिक सराहना करती है, जिन्होंने बड़ी निष्ठा और कर्तव्य की भावना से काम किया।

कृते इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की परिषद

(बी. पी. धनुका)

अध्यक्ष

नई दिल्ली

तारीख : 12 जुलाई 1998

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 1998 के लिए परिषद की समितियां

स्थायी समितियां

1. अनुशासन समिति

चेयरमैन

बी.पी. धनुका, अध्यक्ष

सदस्य

आर डी जोशी

एस. रामाबद्रन

2. परीक्षा समिति

चेयरमैन

वीरेन्द्र गण्डा, उपाध्यक्ष

सदस्य

शुभरेन्दु गंगोपाध्याय

जे श्रीधर

3. कार्यकारी समिति

चेयरमैन

बी पी धनुका, अध्यक्ष

सदस्य

वीरेन्द्र गण्डा, उपाध्यक्ष

एस डी इसरानी (डॉ.)

आर डी जोशी

पी वी एस जगन मोहन राव

अन्य समितियां

4. व्यावसायिक विकास समिति

चेयरमैन

बी पी धनुका, अध्यक्ष

सदस्य

बिपिन एस आचार्य

के चन्द्रशेखरन

कुमार डी कापसी

एस रामाबद्रन

वी श्रीधरन

हरीश के वेद

पवन कुमार विजय

5. प्रशिक्षण तथा शिक्षण सुविधा समिति

चेयरमैन

वीरेन्द्र गण्डा, उपाध्यक्ष

सदस्य

के चन्द्रशेखरन

एस गंगोपाध्याय

कुमार डी कापसी

पी वी एस जगमोहन राव

पी एस शर्मा (डॉ.)

वी श्रीधरन

पवन कुमार विजय

6. विनियमन समिति

चेयरमैन

बी पी धनुका, अध्यक्ष

सदस्य

बिपिन एस आचार्य

के चन्द्रशेखरन

नैना आर देसाई (श्रीमती)

पी वी एस जगन मोहन राव

जे श्रीधर

हरीश के वैद

7. समन्वय समिति

चेयरमैन

बी पी धनुका, अध्यक्ष

सदस्य

बिपिन एस आचार्य

नैना आर देसाई (श्रीमती)

एस डी इसरानी (डॉ.)

एस रामाबद्रन

पी एस शर्मा (डॉ.)

पवन कुमार विजय

8. संपादकीय सलाहकार बोर्ड

चेयरमैन

वी के मजोतरा

सदस्य

गिरीश आहूजा

वी के भल्ला (प्रोफेसर)

दिलीप गोस्वामी

जयालक्षमी जयारामन (डॉ.)

धीरज माथुर

एस बी माथुर

अनूप मिश्रा

आर के पांडे

ए के पोद्दार

आदिति एस रे (श्रीमती)

वी के सिंघानिया (डॉ.)

हरीश के वैद

9. विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप

चेयरमैन

जसटिस ए एम अहमदी

सदस्य

आर एन बंसल

के चन्द्रशेखरन

यू के चौधरी

नैना आर देसाई (श्रीमती)

एस गंगोपाध्याय

एस डी इसरानी (डॉ.)

एस एस कुमार

हरीश के वैद

एन जे एन वजीफदार

10. सी सी आर टी भवन समिति

चेयरमैन

ए के मोदी

सदस्य

बिपिन एस आचार्य

एन एल भाटिया

के आर चन्द्रात्रे (डॉ.)

नैना आर देसाई (श्रीमती)

एस डी इसरानी (डॉ.)

कुमार डी कापसी

पी पी मिस्त्री (डॉ.)

आर रामचन्द्रन

सी आर शाह

जे श्रीधर

एन जे एन वजीफदार

डब्लू आई आर सी के पदाधिकारी

पदेन सदस्य

बी पी धनुका, अध्यक्ष

वीरेन्द्र गण्डा, उपाध्यक्ष

एस पी नारंग (डॉ.), सचिव

11. नौयडा भवन समिति

चेयरमैन

आर एन बंसल

सदस्य

गिरीश आहूजा

ओ पी दानी

पंकज गुप्ता

एन के जैन

शशांक जैन

आर के पांडे

हरीश के वैद

पवन कुमार विजय

चेयरमैन, एन आई आर सी

पदेन सदस्य

बी पी धनुका, अध्यक्ष

वीरेन्द्र गण्डा, उपाध्यक्ष

एस पी नारंग (डॉ.), सचिव

12. सी सी आर टी प्रबंधन समिति

चेयरमैन

बी पी धनुका, अध्यक्ष

सदस्य

बिपिन एस आचार्य

नैना आर देसाई (श्रीमती)

वीरेन्द्र गण्डा

एस डी इसरानी (डॉ.)

कुमार डी कापसी

एस रामबद्रन

जे श्रीधर

पवन कुमार विजय

सदस्य-सचिव

एस पी नारंग (डॉ.)

13. भावी योजना ग्रुप

चेयरमैन

सी आर शाह

सदस्य

आर के चन्द्रात्रे (डॉ.)

एस डी इसरानी (डॉ.)

आर कृष्णन

डी के प्रहलाद राव

डी बी सक्सेना

श्यामल सेन

एन जे एन वजीफदार

सदस्य-सचिव

एस पी नारंग (डॉ.)

परिशिष्ट 'ख'

1. नई दिल्ली में 10 अप्रैल 1997 को इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड के साथ संयुक्त रूप से 'निगम शासन के उभरते आयाम' विषय पर एक दिन की राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया।

2. मैसूर में 23-24 मई 1997 को सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ मिल कर 'सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश और पब्लिक इश्यू के कानूनी फलितार्थों' पर दो दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

3. नई दिल्ली में 12 जून 1997 को आई सी डब्ल्यू ए आई के साथ संयुक्त रूप से कम्पनी बिल 1997 के कार्यकारी मसौदे पर एक दिन की राष्ट्रीय विचारगोष्ठी आयोजित की गई।

4. चेन्नई में 4-5 जुलाई 1997 को 'सिस्टम्स आडिट आफ कम्प्यूटाइज्ड सेक्रेटेरियल फंक्शंस' विषय पर दो दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया।

5. नई दिल्ली में 21-25 जुलाई 1997 को सेंट्रल कम्पनी लॉ सर्विसेज के अधिकारियों के लिए पांच दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6. हैदराबाद में 29-31 अगस्त 1997 को ''निगम-प्रशासन-वैश्विक परिप्रेक्ष्य'' विषय पर स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय सम्मेलन और तीसरा कम्पनी सचिव अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

7. कलकत्ता में 15 नवम्बर 1997 को कम्पनी बिल पर राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया।

8. चेन्नई में 12-13 दिसम्बर 1997 को 'सिस्टम्स आडिट आफ कम्प्यूटाइज्ड सेक्रेटेरियल फंक्शंस' पर दो दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया।

9. नई दिल्ली में 27 दिसम्बर 1997 को आई सी ए डी आर के साथ संयुक्त रूप से 'आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन' पर एक दिन की राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया।

10. हैदराबाद में 19-21 फरवरी 1998 को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया के साथ मिलकर 'मर्जर्स एंड एक्विजीशंस' पर तीन दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

11. नई दिल्ली में 17-21 मार्च 1998 को सेंट्रल कम्पनी लॉ सर्विसेज के अधिकारियों के लिए पांच दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण विद्यार्थियों के आंकड़े

I. जून 1997 का सत्र

परीक्षा	परीक्षार्थियों की संख्या			
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
फाउंडेशन	11756	9124	1639	17.96
इंटरमीडिएट*				
ग्रुप-1	22020	13546	1270	9.38
ग्रुप-2	20526	12876	1733	13.46
फाइनल**				
ग्रुप-1	3115	2209	521	23.59
ग्रुप-2	3091	2047	442	21.59

* इण्टरमीडिएट के दोनों ग्रुपों में 4413 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 193 ने परीक्षा पास की (4.37 प्रतिशत)।

** फाइनल के दोनों ग्रुपों में 872 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से दोनो ग्रुपों में कुल 89 ने परीक्षा पास की (10. 20 प्रतिशत)।

II. दिसम्बर 1997 सत्र

परीक्षा	परीक्षार्थियों की संख्या			
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
फाउंडेशन	11613	9328	1623	17.40
इंटरमीडिएट*				
ग्रुप-1	22803	13531	1771	13.09
ग्रुप-2	21479	13412	1329	9.91
फाइनल**				
ग्रुप-1	3479	2416	433	17.92
ग्रुप-2	3673	2499	533	21.33

* इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुपों में 3221 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में कुल 236 ने परीक्षा पास की (7.33 प्रतिशत)।

** इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुपों में 674 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से दोनों ग्रुपों में कुल 69 ने परीक्षा पास की (10.24 प्रतिशत)।

परिशिष्ट 'घ'

पश्च सदस्यता अर्हता
(पी एम क्यू) परीक्षा - अक्तूबर 1997

परीक्षा	परीक्षार्थियों की संख्या			
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
ग्रुप-1	103	44	3	6.82
ग्रुप-2	45	26	1	3.85

दोनों ग्रुपों में 29 परीक्षार्थियों के नाम अंकित किए गए, जिनमे से 15 परीक्षार्थी दोनो ग्रुपों में बैठे और दोनों में कोई भी उत्तीर्ण घोषित नहीं हुआ।

खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
706, आकशदीप, 26ए, बाराखम्बा रोड,
पो, आ, बाक्स नं0 648
नई दिल्ली - 110 001
टेलीफोन: 3315110, 3315119, ग्राम: अलर्ट, नई दिल्ली

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 31 मार्च 1998 के संलग्न तुलन पत्रा तथा इसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे का परीक्षण भी किया है और हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

(क) हमें वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए, जो हमें अपेक्षित जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए प्राप्त करने आवश्यक थे।

(ख) रिपोर्ट का संदर्भाधीन तुलन पत्रा और आय एवं व्यय लेखे रखी गई लेखा पुस्तकों और रिकार्डों से मेल खाते हैं।

(ग) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार ये विवरण इनके साथ दी गई टिप्पणियों के पढ़ने पर निम्नलिखित के बारे में लेखे सही और पर्याप्त स्पष्ट स्थिति प्रगट करते हैं:

(1) इंस्टीट्यूट के मामले से संबंधित 31 मार्च, 1998 को समाप्त अवधि के तुलन पत्रा के बारे में स्थिति।

(2) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे में अधिशेष से संबंधित स्थिति

कृते खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(के ए बालासुब्रह्मण्यन)
पार्टनर

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 12 जुलाई 1998

दि इस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ आफ इण्डिया, नई दिल्ली
31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 1998			31 मार्च 1997		
निधि का स्रोत							
पूंजी रिजर्व	1			5,073,570			3,943,920
सामान्य रिजर्व	2			164,168,695			138,149,483
वैज्ञानिक अनुसंधान रिजर्व	3			4,021,656			1,729,188
चिकित्सा व्यय निधि	4			5,800,000			5,000,000
योग				**179,063,921**			**148,822,591**
निधि का प्रयोग							
स्थायी परिसम्पत्तियां:							
सकल ब्लाक	5	63,832,203			61,841,788		
घटाए: मूल्य ह्रास		18,323,121			15,367,571		
			45,509,082			46,474,217	
जोड़ें: भूमि क्रय/निर्माणाधीन भवन के लिए पेशगी			27,064,419			11,171,662	
				72,573,501			57,645,879
निवेश	6			83,783,239			79,186,837
चालू परिसंपत्तिया, ऋण और पेशगी							
चालू परिसंपत्तियां	7						
निवेश पर बना ब्याज		11,479,113			7,728,484		
हस्तगत स्टाक		5,206,213			6,656,615		
विविध देनदार		658,521			878,955		
नकदी और बैंक शेष		38,115,701	55,459,548		31,456,829	46,720,883	
ऋण ओर पेशगियां	8		16,229,979			15,295,550	
			71,689,527			62,016,433	
घटायें: चालू देयतायें और प्रावधान	9						
देयताएं		(32,502,726)			(33,897,927)		
प्रावधान		(16,479,620)	(48,982,346)	22,707,181	(16,128,631)	(50,026,558)	11,989,875
योग				**179,063,921**			**148,822,591**
लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां	15						

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकांउटेंट्स

(के.ए. बालासुब्रह्मण्यन)
पार्टनर

कृते और परिषद् की ओर से

(डा. एस. पी. नारंग)
सचिव

(वीरेन्द्र गण्डा)
उपाध्यक्ष

(बी. पी धनुका)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 12 जुलाई, 1998

दि इस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ आफ इण्डिया, नई दिल्ली
31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष का आय तथा व्यय लेखा

(राशि रुपयो में)

विवरण	अनुसूची	1997-98	1996-97
आय			
विद्यार्थियो तथा सदस्यो से शुल्क	10	103,468,973	119,916,247
जर्नल और बुलेटिन का अभिदान और विज्ञापन		2,315,243	2,204,469
प्रकाशनो की बिक्री		7,640,874	8,078,219
निवेश पर ब्याज (सकल)		16,960,925	11,732,407
स्रोत पर काटा गया कुल ब्याज–शून्य			
कार्यक्रमों से आय		4,034,504	2,144,400
अन्य आय	11	1,268,024	933,342
योग		**135,688,543**	**145,009,084**
व्यय			
स्थापना	12	35,854,723	35,827,142
डाक शिक्षण		13,522,626	19,700,442
प्रकाशन और कार्यालय स्टेशनरी		3,366,238	5,176,244
जर्नल और बुलेटिन		7,367,877	8,055,274
परीक्षा		10,152,133	6,957,448
संचार	13	4,761,524	3,904,591
क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को अनुदान		3,531,739	4,608,279
क्षेत्रीय कार्यालय		505,006	485,383
यात्रा और सवारी		3,068,855	2,130,282
विद्यार्थियों को छात्रवृतिया और पुरस्कार		176,802	158,803
व्यावसायिक विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण		3,207,722*	2,261,068
चुनाव		612,714	—
अन्य व्यय	14	14,635,168	8,824,698
मूल्य ह्रास	5	3,320,580	3,700,404
कम्पनी सचिव कल्याण निधि में अंशदान		1,000,000	2,500,000
चिकित्सा व्यय निधि में अशदान		800,000	4,000,000
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए प्रावधान		5,000,000	—
योग		110,883,707	108,290,058
व्यय से अधिक आय जो			
सामान्य रिजर्व में ले जायी गई		24,804,836	36,719,026
योग		**135,688,543**	**145,009,084**

*शाखाओ और हितकारी निधि को आवंटित ४,७४,२२६ रुपये (पिछले वर्ष २,५३,२४० रुपये) की अधिशेष राशि शामिल है।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
खन्ना एड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकांउटेट्स

कृते और परिषद् की ओर से

(के ए. बालासुब्रह्मण्यन)
पार्टनर

(डा एस. पी नारंग)
सचिव

(वीरेन्द्र गण्डा)
उपाध्यक्ष

(बी. पी. धनुका)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
तारीख: 12 जुलाई, 1998

पूंजी रिजर्व

अनुसूची-1 (राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 1998		31 मार्च 1997	
पिछले तुलन पत्रा के अनुसार		3,943,920		3,653,825
प्रवेश शुल्क-एसोसिएट सदस्य	183,600		228,900	
-फैलो सदस्य	66,000	249,600	45,600	274,500
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ		880,050		15,595
योग		5,073,570		3,943,920

सामान्य रिजर्व

अनुसूची-2 (राशि रुपयों में)

विवरण		31 मार्च 1998		31 मार्च 1997
पिछले तुलन पत्रा के अनुसार		138,149,483		98,490,457
जोड़े:क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं से अंशदान				
-भूमि और भवन	1,211,876		2,940,000	
-सीधे प्राप्त दान राशि	2,500		--	
		1,214,376		2,940,000
		139,363,859		101,430,457
जोड़ें: आय एवं व्यय लेखा से अनुसार अधिशेष		24,804,836		36,719,026
योग		164,168,695		138,149,483

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी सी आर टी) रिजर्व

अनुसूची-3 (राशि रुपयों में)

विवरण		31 मार्च 1998	31 मार्च 1997
पिछले तुलन पत्रा के अनुसार		1,729,188	4,214,312
प्राप्त दान राशि/अंशदान		14,290,377	7,014,662
निर्धारित निधियों पर ब्याज		101,271	70,047
घटाएं:	आई सी एस आई से पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद को	16,120,836	11,299,021
	दिए गए अंशदान को ऋण/पेशगियों में समायोजित	12,099,180	9,569,833
	किया गया (प्रति पक्ष)	4,021,656	1,729,188

चिकित्सा व्यय निधि

अनुसूची-4 (राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 1998	31 मार्च 1997
पिछले तुलन पत्रा के अनुसार	5,000,000	1,000,000
आय और व्यय लेखा से अंतरण	800,000	4,000,000
योग	5,800,000	5,000,000

स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

अनुसूची-5

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	मद	सकल ब्लाक 1.4.1997 को लागत	वृद्धि	कटौतियां	31.3.1998 को कुल लागत	मूल्य ह्रास 1.4.1997 की स्थिति	वर्ष के दौरान	कटौतियां	31.3.1998 को कुल जोड़	निवल ब्लाक 31.3.1998 की स्थिति	31.3.1997 की स्थिति
1.	पट्टे पर भूमि	9,552,175	922,310	0	10,474,485*	0	0	0	0	10,474,485	9,552,175
2.	भवन	33,374,841	38,113	819,950	32,593,004	7,465,926	1,267,483	217,212	8,516,197	24,076,807	25,908,915
3.	फर्नीचर और जुड़नार	2,848,762	87,193	0	2,935,955	1,834,330	178,943	0	2,013,273	922,682	1,014,432
4.	कम्प्युटर नेटवर्क	7,602,566	664,805	0	8,267,371	1,833,834	967,293	0	2,801,127	5,466,244	5,768,732
5.	एयरकण्डीशनर इंस्टालेशन और कूलर	1,191,097	233,155	0	1,424,252	867,357	83,533	0	950,890	473,362	323,740
6.	बिजली के उपकरण	1,570,185	141,154	0	1,711,339	494,609	193,729	0	688,338	1,023,001	1,075,576
7.	कार्यालय और संचार उपकरण	3,262,454	627,648	287,661	3,602,441	1,532,708	336,601	145,019	1,724,290	1,878,151	1,729,746
8.	अन्य उपकरण	149,129	0	0	149,129	55,968	14,161	0	70,129	79,000	93,161
9.	पुस्तकालय की पुस्तकें	1,909,991	388,389	4,741	2,293,639	1,183,813	222,525	2,799	1,403,539	890,100	726,178
10.	वाहन	380,588	0	0	380,588	99,026	56,312	0	155,338	225,250	281,562
	इस वर्ष का योग	61,841,788	3.102,767	1,112,352	63,832,203	15,367,571	3,320,580	365,030	18,323,121	45,509,082	46,474,217
	पिछले वर्ष का जोड़	44.120,596	18,182,060	460,868	61,841,788	11,880,575	3,700,404	213,408	15,367,571	46,474,217	32,240,022
	पेशगियां (चालू कार्य)										
1.	भूमि क्रय (वित्तीय टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 2 देखें)	300,000	0	0	300,000					300,000	300,000
2.	भवन (निर्माणाधीन भवन)	10,871,662	12,064,515	0	22,936,177**					22,936,177	10,266,888
3.	अन्य	0	3,828,242	0	3,828,242#					3,828,242	604,774
	इस वर्ष का जोड़	11,171,662	15,892,757	0	27,064,419					27,064,419	11,171,662
	पिछले वर्ष का जोड़	4,934,144	7,120,999	883,481	11,171,662					11,171,662	4,934,144

* 29,54,922 रुपये (पिछले वर्ष 28,91,986 रुपये)
** 2,01,87,212 रुपये (पिछले वर्ष 1,02,66,888 रुपये)

मुम्बई में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी.सी.आर.टी.) की राशि शामिल है।

मुम्बई में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी.सी.आर.टी.) से संबद्ध।

निवेश-लागत पर

अनुसूची–6 (राशि रुपयो में)

विवरण	31.3.98	वृद्धि	विलोपन	31.3.98 की स्थिति
(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मियादी जमा राशि				
– स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि.	7,105,000	12,900,000	5,500,000	14,505,000
– नेशनल थर्मल पॉवर पॉ. लि. (12 प्रतिशत–14 प्रतिशत)	3,000,000	2,500,000	-	5,500,000
– इडस्ट्रीयल फिनास कार्पोरेशन आफ इडिया	2,123,143	-	2,123,143	0
– मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन (14.4 प्रतिशत–15 प्रतिशत)	-	5,500,000	-	5,500,000
योग (क)	**12,228,143**	**20,900,000**	**7,623,143**	**25,505,000**
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बंध-पत्र				
– महानगर टैलीफोन निगम लि. के 17 प्रतिशत के एक–एक हजार रुपये के 2300 (पिछले वर्ष 6400) बंध पत्र	6,308,690	-	4,062,538	2,246,152
– नेशल थर्मल पावर कार्पो लि के 13 प्रतिशत ब्याज के एक–एक हजार रुपये के (पिछले वर्ष 600) बंध–पत्र–शून्य	507,917	-	507,917	0
– इण्डस्ट्रियल फिनान्स कार्पो. आफ इण्डिया के 15.5–16 5 प्रतिशत ब्याज के एक–एक लाख रुपये के 115 बध–पत्र	11,500,000	-	-	11,500,000
– इडस्ट्रीयल फिनास कार्पोरेशन आफ इंडिया 15.5 प्रतिशत ब्याज के पाच–पांच हजार के 800 बध–पत्र	4,000,000	-	-	4,000,000
– भारतीय स्टेट बैंक के 14–45 प्रतिशत ब्याज के एक–एक हजार रुपये के 6000 (पिछले वर्ष 6000) बध–पत्र	5,757,500	-	-	5,757,500
– न्यूक्लियर पावर कार्पो लि. के 16 25 प्रतिशत ब्याज के एक–एक लाख रुपये के 10 (पिछले वर्ष 10) बध–पत्र	1,000,000	-	-	1,000,000
– इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेट बैंक आफ इण्डिया के एक–एक लाख रुपये के 200 (पिछले वर्ष 200) जीरो कूपन बध–पत्र	9,600,000	-	-	9,600,000
– स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के 16–16.75 प्रतिशत ब्याज के एक–एक लाख रुपये के 45 (पिछले वर्ष 45) बध–पत्र	4,500,000	-	-	4,500,000
– नेशनल हाइड्रो–पावर कार्पो. लि 16 25–17 प्रतिशत के एक–एक हजार के 11000 (पिछले वर्ष 11000) बध–पत्र	11,000,000	-	-	11,000,000
– इडस्ट्रियल क्रेडिट एड इन्वेस्टमेट कार्पो आफ इण्डिया लि के 16 प्रतिशत के दस लाख रुपये के बंध पत्र (पिछले वर्ष 5) – शून्य	5,000,000	-	5,000,000	0
– इडस्ट्रियल क्रेडिट एड इन्वेस्टमेट कार्पो आफ इण्डिया लि. के एक–एक हजार रुपये के 15 5 प्रतिशत ब्याज के 30 (पिछले वर्ष 30) बध पत्र	29,880	-	-	29,880*
– इडस्ट्रियल क्रेडिट एड इन्वेस्टमेट कार्पो आफ इण्डिया लि. के दस–दस हजार रुपये के 15 5 प्रतिशत ब्याज के 89 (पिछले वर्ष शून्य) बध पत्र		890,000	-	890,000
– इडस्ट्रियल क्रेडिट एड इन्वेस्टमेट कार्पो आफ इण्डिया लि के पांच–पाच हजार रुपये के 16 प्रतिशत ब्याज के 200 (पिछले वर्ष 200) बंध पत्र	1,000,000	-	-	1,000,000
– इण्डियन रेलवे फिनान्स कार्पो लि के एक–एक हजार रुपये के 16.5 प्रतिशत ब्याज के 1000 (पिछले वर्ष 1000) बध पत्र (इससे पूर्व इसका नाम शिपिंग क्रेडिट एड इन्वेस्टमेट कार्पो लि. था)	980,000	-	-	980,000
योग (ख)	**61,183,987**	**890,000**	**9,570,455**	**52,503,532**
(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के (यू एस 64–योजना के अधीन) यूनिट				
– 354043 यूनिट, जिनमें 32413 बोनस यूनिट शामिल हैं (पिछले वर्ष 354043) यूनिटे	5,621,129	-	-	5,621,129
– 2550 यूनिट (पिछले वर्ष 2550)	153,578			153,578
योग (ग)	**5,774,707**	**0**	**0**	**5,774,707**
कुल जोड़ (क+ख+ग)	**79,186,837**	**21,790,000**	**17,193,598**	**83,783,239**

* पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्धारित।

नोट: 31.3.1998 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू एस–64 योजना के अधीन पुनः विक्रय मूल्य 50,62,815 रुपये था।

चालू परिसम्पत्तियां

अनुसूची-7 (राशि रुपयों में)

विवरण		31.3.98			31.3.97	
निवेशो पर प्रोदभूत ब्याज			11,479,113			7,728,484
स्टॉक (प्रबधन द्वारा मूल्याकन, लिया गया और प्रमाणित)						
(क) प्रकाशन		448,125			358,630	
(ख) कागज		4,148,286			5,777,177	
(ग) अध्ययन सामग्री		302,817			258,801	
(घ) अन्य		306,985	5,206,213		262,007	6,656,615
विविध देनदार (असुरक्षित)						
(क) राशि, जो छह महीने से अधिक समय से बकाया है।						
1 जिनकी वसूली की सभावना है।	85,540			67,890		
2. जिनकी वसूली की सभावना सदिग्ध है।	43,050			35,850		
	128,590			103,740		
(ख) अन्य (जिनकी वसूली की संभावना है)	572,981			811,065		
		701,571			914,805	
घटाएं जिनकी वसूली की सभावना सदिग्ध है।		(43,050)			(35,850)	
			658,521			878,955
नगदी और बैक शेष						
(क) हस्तगत नकदी, चैक, ड्राफ्ट और डाक टिकट/फ्रैकिंग यूनिट		1,304,417			1,166,095	
(ख) अनुसूचित बैकों के पास						
– बचत बैक खातों में जमा	12,284,742*			12,756,812		
– अल्प अवधि खातों मे जमा				4,600,000		
– दीर्घ अवधि खातों में जमा –26,542 रुपये (पिछले वर्ष 33,922 रुपये) की पुरस्कार प्रदान करने की राशि शामिल है।	24,526,542**			12,933,922		
		36,811,284			30,290,734	
			38,115,701			31,456,829
योग			**55,459,548**			**46,720,883**

* मुम्बई में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी.सी.आर.टी.) के लिए निर्धारित 3,34,120 रुपये (पिछले वर्ष 9,04,854 रुपये)

** मुम्बई में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी.सी.आर.टी.) के लिए निर्धारित 5,00,000 रुपये (पिछले वर्ष 5,00,000 रुपये) की राशि शामिल है।

ऋण और पेशगियां

अनुसूची-8 (राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 1998		31 मार्च 1997	
ऋण:				
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के भवनों के लिए पेशगिया		18,970,110		18,524,449
पेशगियां				
कर्मचारी	3,081,138		3,064,451	
क्षेत्रीय परिषदे/शाखायें	12,000,000		186,508	
अन्य	2,528,300	17,609,438	1,771,752	5,022,711
पूर्व प्रदत्त व्यय		206,319		943,504
विविध जमा राशियां		1,113,125		374,719
		37,898,992		24,865,383
घटाएं: आई सी एस आई से पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद को दिए गए अंशदान को वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना रिजर्व में समायोजित किया गया (प्रति पक्ष)		21,669,013		9,569,833
		16,229,979		**15,295,550**

चालू देयतायें और प्रावधान

अनुसूची-9 (राशि रुपयों में)

विवरण	31.3.98		31.3.97	
चालू देयतायें				
अग्रिम प्राप्त राशियां				
विद्यार्थियों से रजिस्ट्रेशन शुल्क	25,096,853		22,982,225	
अन्य	347,120		1,109,352	
	25,443,973		24,091,577	
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को देय अनुदान	807,939		1,839,524	
विविध लेनदार	601,065		594,262	
देय व्यय	3,276,621		4,211,433	
हितकारी निधि				
कंपनी सचिव	982,708		2,653,622	
कर्मचारी	538,135	1,520,843	64,046	2,717,668
पुरस्कार प्रदान करने के लिए जमा राशि (प्रति पक्ष)	210,000		217,500	
न्यास	98,301			
दानराशि का पुनः आवंटन	543,984		225,963	
		32,502,726		33,897,927
प्रावधान				
5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार देय अन्य लाभ	5,595,653		12,500,000	
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	5,000,000		-	
सम्पत्ति कर	3,962,674		1,200,000	
छुट्टी नकद भुगतान	1,200,000		-	
परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डालना	323,295		-	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	312,269		-	
अन्य	85,729		2428631.00	
		16,479,620		16,128,631
योग		**48,982,346**		**50,026,558**

सदस्यों और विद्यार्थियों से शुल्क

अनुसूची-10 (राशि रुपयों में)

विवरण	1997-98		1996-97	
सदस्य				
वार्षिक शुल्क	3,050,7882,		2,876,000	
अन्य शुल्क	29,725	3,080,513	9,600	
				2,885,600
विद्यार्थी				
पंजीकरण शुल्क	16,952,714		17,285,596	
छूट शुल्क	2,654,893		3,686,710	
डाक शिक्षण शुल्क	54,570,090		71,197,894	
परीक्षा शुल्क	25,429,281		24,572,115	
लाइसेंस धारी शुल्क	139,475		136,555	
अन्य शुल्क (पी एम क्यू सहित)	642,007		151,777	
		100,388,460		117,030,647
योग		**103,468,973**		**119,916,247**

अन्य आय

अनुसूची-11 (राशि रुपयों में)

विवरण	1997-98	1996-97
निवेश पर प्रोत्साहन राशि	352,295	264,569
निवेश बिक्री से लाभ	283,345	19,116
कर्मचारी पेशगियो पर ब्याज	132,400	59,116
विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएं	2,000	17,000
परिसंपत्तियों के निपटान से अधिशेष	228,873	103,520
वह राशि जिसके प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है पुनः लिखित	114,147	389,028
विविध	154,964	80,993
योग	**1,268,024**	**933,342**

स्थापना

अनुसूची-12 (राशि रुपयों में)

विवरण	1997-98	1996-97
वेतन और भत्ते	28,958,478	28,143,303
अंशदानः भविष्य निधि	1,944,712	1,445,580
उपदान निधि	1,369,395	708,156
पेंशन निधि	806,000	3,540,968
पश्च-सेवा निवृत्ति चिकित्सा योजना	121,440	672,240
कर्मचारी कल्याण*	2,654,698*	1,316,895
योग	**35,854,723**	**35,827,142**

* कर्मचारी हितकारी निधि में अंशदान के ५.०० लाख रुपये शामिल है।

संचार

अनुसूची-13 (राशि रुपयों में)

विवरण	1997-98	1996-97
डाक खर्च और तार		
टेलीफोन, फैक्स और टेलेक्स	3,768,566	3,144,721
	992,958	759,870
योग	4,761,524	3,904,591

अन्य व्यय

अनुसूची-14

(राशि रुपयों में)

विवरण	1997-98		1996-97	
विज्ञापन और प्रचार		509,129		1,248,708
बैंक प्रभार		92,133		86,738
किराया, दर और कर		4,806,295*		702,478
बिजली और पानी		2,045,516		1,235,312
बीमा		51,037		47,008
मरम्मत और अनुरक्षण				
– भवन	426,977		608,810	
– मशीन/उपस्कर	507,080		454,231	
– वाहन	121,432	1,055,489	76,937	1,139,978
विधि और व्यावसायिक प्रभार				
कार्यालय व्यय		550,872		563,723
कम्प्युटरीकरण		1,304,241		964,232
– डाटा प्रोसेसिंग	1,596,329		1,222,322	
– साफ्टवेयर	911,850	2,508,179	368,909	1,591,231
बैठकें		163,423		240,813
पैकिंग, ढुलाई और भाड़ा		984,939		922,622
घटाएं–परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान		96,303		-
लेखा परीक्षक शुल्क				
– लेखा परीक्षा शुल्क	50,000		35,000	
– अन्य सेवाएं	25,000		25,000	
		75,000		60,000
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		7,200		21,855
प्रदत्त ब्याज		62,117		-
परिसम्पत्तियों की समाप्ति		323,295		-
योग		**14,635,168**		**8,824,698**

* प्रसाद नगर और लोदी रोड़ के भवनों के बारे में सम्पत्ति कर के लिए 29,30,942 रुपये (पिछले वर्ष 3,68,140 रुपये) की राशि शामिल है।

लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(क) लेखांकन नीतियां

1. क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं द्वारा दान राशियां और अंशदान

सीधे प्राप्त दान राशियों और क्षेत्रीय/शाखाओं द्वारा भूमि/भवनों की खरीद के लिए अंशदानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों को "सामान्य रिजर्व" खाते में ले जाया जाता है और वस्तुत: उपयोग की गई राशियों को सीधे "सामान्य रिजर्व" में अन्तरित किया जाता है।

2. शुल्क

(क) फैलो और एसोसिएट सदस्यों से प्रवेश शुल्क को प्राप्त होने सीधे "पूंजी रिजर्व" खाते में दिखाया जाता है और उनकी प्रोद्भूत राशि नहीं बनाई जाती है।

(ख) सदस्यों से जितना शुल्क प्राप्त होता है, उतनी राशि नकद आधार पर हिसाब में ली जाती है। किन्तु अग्रिम में प्राप्त शुल्क को देयता के रूप में आगे ले जाया जाता है।

(ग) पंजीकरण शुल्क को छोड़ कर विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क को नकद-आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पंजीकरण शुल्क को पांच वर्ष की अवधि में बराबर बांटकर आय के रूप में लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों को लाभ पांच वर्षों की अवधि तक मिलता है।

3. निवेश

निवेश का मूल्य लागत के अनुसार आंका जाता है।

4. स्थायी परिसम्पत्तियां

(क) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को लिखित मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों के अनुसार प्रभारित किया जाता है:

मदें	प्रतिशत
भवन	5
फर्नीचर और जुड़नार	10
एयरकंडीशनर/कूलर/कम्प्यूटर तथा अन्य उपस्कर	15
पुस्तकालय की पुस्तकें	20
वाहन	20

(ख) परिवर्धनों पर मूल्यह्रास पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है, चाहे परिवर्धनों की तारीखें कुछ भी हों और बिक्री के वर्ष में मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर, 5,000 रुपये या इससे कम मूल्य की स्थायी परिसम्पत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास उन परिसम्पत्तियों के प्राप्ति वर्ष में किया जाता है और जिनका अंकित मूल्य वर्ष के आरम्भ में 250 रुपये या इससे कम होता है, उनका पूरा मूल्यह्रास किया जाता है।

(घ) पट्टे पर भूमि के लिए दिए गए प्रीमियम को पट्टे की अवधि में संक्रामित नहीं किया जाता है।

(ङ) टेक्नालाजी में उन्नति के कारण परिसम्पत्तियों को नाकारा करने की स्थिति में, अतिरिक्त राशि को पुन: बिक्री मूल्य पर आधारित मूल्यह्रास के रूप में बट्टेखाता डाला जाता है।

(क) कागज तथा अन्य सामग्री के स्टॉक का मूल्यांकन उनकी लागत पर किया जाता है।

(ख) अध्ययन सामग्री, प्रकाशनों, जर्नलों/बुलेटिनों और आडियो कैसेटों का मूल्य निम्नलिखित नाम-मात्र लागत के आधार पर लगाया जाता है: 50 रुपये तक की मूल्य वाली मदों के लिए 1 रुपये और 50 रुपये से अधिक मूल्य की मदों के लिए 5 रुपये।

6. कर्मचारी सेवा-वितृत्ति लाभ

(क) पेंशन निधि न्यास में अंशदान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) उपदान न्यास में अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रुप उपदान योजना के अनुसार किया जाता है।

7. ब्याज

(क) निवेशों पर प्राप्त ब्याज को उतनी सीमा तक आय के रूप में लिया है, जितनी आय वस्तुत: हुई है।

(ख) कर्मचारियों को दिए गए उधार पर ब्याज को खाते में नकद आधार पर जब ब्याज मिलता है, तभी हिसाब में और उसके बाद कोई जमा राशि का प्रावधान नहीं रखा जाता है।

(ख) वित्तीय विवरण से संबंधित टिप्पणियां

1. इंस्टीट्यूट को वित्तीय वर्ष 1996-97 तक के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (4) के अधीन 1996-1697 का छूट प्रमाण पत्र मिल गया है। उपर्युक्त धारा के अधीन आगे भी छूट मिलने की आशा को देखते हुए लेखों में कर का प्रावधान नहीं किया गया है।

2. हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद ने 3.65 लाख रुपये में 500 वर्ग गज की जड़ खरीद भूमि का आवंटन इंस्टीट्यूट की फरीदाबाद शाखा के नाम किया था, परन्तु हूडा इसका कब्जा इस भूमि की मिल्कियत के विवाद के कारण नहीं दे सका और उसने एक दूसरा प्लाट देने का वायदा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया है। दूसरे प्लाट का आवंटन का मामला लटका रहने के कारण अभी तक भुगतान कर दी गई 3.65 लाख रुपये (3 लाख रुपये इंस्टीट्यूट की लेखा पुस्तक में भूमि खरीद के लिए पेशगी के रूप में दिखाए गए है और 65 हजार रुपये शाखा की लेखा पुस्तक में है) पेशगियों के अन्तर्गत चल रहे है।

3. संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई मांग के आधार पर प्रसाद नगर के भवन के बारे में लेखों में 38.37 लाख रुपये (जिसमें पिछले वर्ष के 12 लाख रुपये शामिल है) के सम्पत्ति कर का प्रावधान किया गया है। यदि प्रावधान की गई राशि और भुगतान की जाने वाली राशि में कोई अन्तर होगा तो उसे उस वर्ष में हिसाब में लिया जाएगा, जिसमें वह मामला अन्तिम रूप से निपटाया जाएगा।

4. वेतन और भत्तों के लिए पिछले वर्ष किए गए प्रावधान (पिछले वर्ष 1 करोड़ 25 लाख रुपये) की बकाया 55.95 लाख रुपये की राशि को इस लिए बनाए रखा है क्योंकि संभव है कि अंशदायी भविष्य निधि (सी पी एफ), पेंशन और उपदान की सीमाएं बढ़ जाने के कारण ट्रस्टों को भुगतान करना पड़ेगा।

5. प्रसाद नगर भवन में लिफ्ट के लिए 'ओटिस' को 6,04,773.80 रुपये की भुगतान राशि को स्थायी परिसंपत्ति अनुसूची में पेशगी के रूप में दिखाया जा रहा है, क्योंकि स्थायी बिजली कनेक्शन न मिलने के कारण अभी तक लिफ्ट चालू नहीं हो पाई है।

6. पिछली पद्धति के अनुसार प्रकाशनों/अध्ययन सामग्री की सीधी लागत के आधार पर उनकी समापन इंवेट्री पर मूल्यांकन किया गया चूंकि इन प्रकाशनों/अध्ययन सामग्री का महत्व विद्यार्थियों को छोड़ कर

अन्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, और वह भी जब वे इन्हें खरीदते है।

7. अभी तक छुट्टी के नकद भुगतान को भुगतान के आधार पर हिसाब में लिया जाता रहा है। इस वर्ष से निर्णय लिया है कि इसे हिसाब में प्रोदभूत आधार पर लिया जाएगा। फलस्वरूप, आय और व्यय लेखा में 12 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रभार है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं/प्रावधान पर प्रभाव पड़ा है।

8. आई सी एस आई ने 6,02,738 रुपये की लागत वाले पुणे शाखा के भवन के बारे में बिक्री-करार किया है, इसका कब्जा सौप दिया है और पूरी विक्रय-राशि प्राप्त कर ली है। इस बिक्री से लाभ की 2,17,212 रुपये की राशि को आय और व्यय लेखा में जमा किया है तथा 8,80,050 रुपये के पूंजीगत लाभ को पूंजी-रिजर्व में डाला गया है, हालांकि अभी तक हस्तांतरण पत्रा नहीं हुआ है।

9. नई मुम्बई में सी सी आर टी के निर्माण तथा अन्य व्यय को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूट ने 31 मार्च 1998 तक 2,16,69,013 रुपये (31 मार्च 1997 तक 95,69,833 रुपये) की पेशगी दी है, जिसमें आई सी एस आई द्वारा भूमि की लागत का अंशदान शामिल नही है, जिसे क्रमश: ''वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी सी आर टी) रिजर्व लेखा'' और ''ऋण तथा पेशगियां'' से प्रतिपक्ष प्रविष्टियां कर के घटा दिया है। आज तक 2,69,70,376 रुपये की कुल लागत की राशि को पेशगियों (निर्माणाधीन कार्य) के अन्तर्गत शामिल किया है और स्थायी परिसम्पत्ति अनुसूची में दिखाया गया है। किन्तु उपर्युक्त उल्लिखित समायोजन से इंस्टीट्यूट के लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

10. पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रस्तुत लेखा विवरण में दिखाई गई शेष राशि की तुलना जनरल लैजर के साथ करने पर 2,00,128 रुपये के अन्तर (पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद को दी गई पेशगी जनरल लेजर के अनुसार अधिक होने के कारण) का समाधान किया जा रहा है, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। किन्तु आशा है कि इससे इस वर्ष के अधिशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11. स्वैच्छिक सवोनिवृत्ति योजना के बनने और मान्यता मिलने तक प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भुगतानों के प्रावधान के लिए 50 लाख रुपये की राशि वर्ष के अधिशेष में से अलग रखी गई है, उसे 'प्रावधान' शीर्ष के अन्दर रखा गया है।

12. कम्प्यूटरों के बारे मे, टेक्नालॉजी संबंधी उन्नति के कारण परिसम्पत्तियों पर होने वाली हानि को पूरा करने के लिए इस वर्ष 3,23,295 रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

13. वसूल की जाने वाली पेशगियों के खाते में शेष बकाया राशि, क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के ऋणों की पुष्टि होनी है।

14. जहां आवश्यक हुआ है, पिछले वर्ष के आंकड़ों की इस वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने के लिए पुन: समूहीकरण/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

15. पहले की तरह ही इस बार भी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के खातों को समेकित नहीं किया गया है।

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1998

F. No. 104 26/ACCTS. Eighteenth Annual Report of the Council for the year ended 31st March, 1998.

1. INTRODUCTION

In pursuance of the requirement of sub section (5) of Section 18 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council of the Institute of Company Secretaries of India is pleased to present this Eighteenth Annual Report and audited statements of accounts alongwith the Auditor's Report thereon, on the working of the Institute for the year ended 31st March, 1998.

2. DEVELOPMENT

2.1 Introduction of the Companies Bill, 1997

The most important and significant development during the year from the angle of Company Secretaries profession was the introduction of the Companies Bill, 1997 on August 14, 1997 in Rajya Sabha. The Government after considering the representations made by the Institute on the Working Draft of the Companies Bill has provided for compulsory appointment of whole-time secretary by every listed company, as well as by every unlisted public company having a paid up share capital of rupees one crore or more. The Bill further proposes to open up new vistas of professional work for Company Secretaries in whole-time practice. Clause 256 (5) provides that every company not required to employ whole-time secretary and having a paid up share capital of rupees 10 lakhs or more shall attach with the Board's Report a certificate from Secretary in Whole-time Practice in such form and subject to such conditions as may be prescribed as to whether the company has complied with all the provisions of the Companies Act or not. For the first time the Central Government is to be empowered under Clause 412 to direct Secretarial Audit by a Company Secretary in Practice. Clause 297 provides for the appointment of company liquidator who may be appointed from a panel of firms of Company Secretaries, Advocates, Chartered Accountants, Cost and Works Accountants or firms having combination of these disciplines. Clause 264 empowers the court to issue Commission consisting of experts to obtain expert opinion on any matter or for determination of any question relating to compromise, arrangements and reconstructions. The core competency of Company Secretaries in corporate laws being well recognised, they can be called upon by the Courts to render expert opinion.

On June 12, 1997 the Institute organised jointly with the Institute of Cost and Works Accountants of India, a National Seminar on the Working Draft of the Companies Bill, 1997 which was inaugurated by Shri P. Chidambaram, the then Hon'ble Union Minister for Finance. The Institute again organised a National Seminar on the Companies Bill 1997 which was inaugurated by Dr. Debi Prosad Pal, Chairman Parliament Standing Committee on Finance. A number of seminars/workshops on the Working Draft as well as the Companies Bill, 1997 were also organised by the Regional Councils Chapters of the Institute. The suggestions which emerged were forwarded to the Government for its consideration. A memorandum containing suggestions on Companies Bill, 1997 was also submitted to the Parliament Standing Committee of Finance for its consideration.

2.2 Amendments to Company Secretaries Act, 1980.

The Council of the Institute has made certain proposals to the Government for amending the Company Secretaries Act, 1980. The proposals include inclusion of definition of the term 'to be in employment', removal of monetary ceiling on maximum entrance and annual fee which can be charged from members, permission to members in practice to use the designation 'Company Secretary in Practice' and members in employment to use the designation given by the employer, provision for opportunity of representation before the Council before it considers report of the Disciplinary Committee in enquiries relating to professional or other misconduct, enabling provision to allow members in practice to have arrangements with members of professional bodies in or outside India for rendering professional services and permission to members in practice to issue advertisement or written communication containing the particulars regarding their qualifications, professional experience and nature of services they render. The proposed amendments are under the active consideration of the Government of India.

2.3 Silver Jubilee National Convention and Third International Conference of Company Secretaries

The Silver Jubilee (25th) National Convention and Third International Conference of Company Secretaries was held at Hyderabad on August 29-31, 1997 on the theme 'Corporate Governance Global Perspective'. The Convention was attended by the highest ever number of delegates and the delibrations were of a very high order. The Council places on record its appreciation for the efforts and initiatives of the Hyderabad Chapter and the SIRC in this regard.

2.4 Meeting with the Hon'ble Minister for Finance, Government of India

A delegation from the Institute had a meeting with the then Hon'ble Minister of Finance, Government of India, Shri P. Chindambaram on May 14, 1997 to discuss variuos issues arising out of the recommendations of the Working Group on the Companies Act with respect to compulsory appointment of Company Secretary.

2.5 Meeting with Hon'ble Minister of State for Finance, Government of India

A delegation from the Institute met the then Minister of State for Finance, Government of India Shri Satpal Maharaj in June 1997 to apprise him of the changes suggested by the Institute in the Working Draft of the Companies Bill including in particular the provisions affecting the profession of Company Secretaries.

2.6 Meetings with SEBI, IDBI, NSE etc.

Meetings were held with Chairman and Sr. Executive Director, Securities and Exchange Board of India, Chairman and Executive Director, Industrial Development Bank of India, Managing Director, National Stock Exchange and Chairman and Managing Directors of several State Industrial Development Corporations and State Financial Corporations impressing upon them to utilise the service being rendered by Company Secretaries.

2.7 Recognition to the Profession of Company Secretaries

The Securities and Exchange Board of India has issued directive to all Stock Exchanges to amend the listing agreement inter alia, to provide for insistence by the Company that Registrar and Share Transfer Agents (RTA) produce a certificate from a Company Secretary in Practice that all transfers have been completed within the stipulated time.

2.8 Reciprocal paperwise exemption arrangement with the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, (ICSA) London

The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA) London has agreed in principle to recognise the holders of ICSI qualification and Membership for exemption, on application, from all but three of ICSA's qualification scheme papers viz. Corporate Law Company Secretarial Practice, and Administration of Corporate Affairs. The Institute has in turn agreed in principle to grant exemption on application to holders of ICSA qualification and membership from all but three of the ICSI final papers viz. Corporate Law and Practice I. Corporate Law and Practice II and Corporate Law and Practice III. The formal arrangement is expected to be signed soon.

2.9 MOU with National Law School of India University

A MOU with National Law School of India University Bangalore (NLSIU) was signed which provides for holding joint workshops and seminars, continuing education and training programmes, exchange of journals, course materials,

case studies, research publications and other academic and research inputs, undertaking joint research projects, developing jointly study material under distanc. education programme, exchange of faculty, sharing of facilities like infrastructure, library etc. Company Secretaryship qualification and membership have also been recognised by NLSIU for the purpose of registration nor its Ph.D Course.

2.10 Training Programme for CCLS Officers

At the behest of the Department of Company Affairs, the Institute organised during the year Two Five day Training Programmes for the Officers of Central Company Law Services (CCLS) at New Delhi. The training programmes attended by CCLS Officers from all regions were highly appreciated by the participants as well as the Department of Company Affairs.

2.11 Model Bye-laws for Stock Exchanges

At the behest of SEBI, the Institute prepared and submitted to SEBI Draft of certain Articles and Draft Model Bye-Laws for all Stock Exchanges. The Draft submitted by the Institute is now under the consideration of a Committee set up by SEBI.

2.12 Research Centre at Belapur, Navi Mumbai (CCRT)

Building construction work at the Centre for Corporate Research and Training (CCRT) being set up at Navi Mumbai as well as its furnishing has been completed and is being given finishing touches. The Centre is now ready for operations and is proposed to be formally inaugurated in September/October, 1998. The Centre is dedicated to the development of quality corporate professionals through education, training, consultancy, research and publications and would serve as a seat for higher learning in the areas of corporate laws, taxaton, economic legislations, international business and financial management. Besides holding residential and non-residential training and professional development programmes, the Centre would undertake consultancy services and research projects on the changing needs of the corporate world in the days to come.

2.13 Computerisation and E-Mail

The first phase of computerisation covering students, membership and training services has already been completed. The Institute has also acquired E-Mail facilities. A website is being created to focus on the activities of the Institute and the various services which our members can render, for disseminating information to the general public as well as foreign institutional investors, multi-natioinal corporations, foreign corporates desiring to set up business in India.

2.14 Revision of Chapter Guidelines

The Chapter Guidelines introduced in the year 1983 have been extensively revised in the light of experience gained in their implementation over the years.

2.15 Post Membership Qualification Course in Capital Markets and Financial Services

As on March 31, 1998, 310 members of the Institute have registered for the Post Membership Qualification Course in Capital Markets and Financial Services. The second examination of the PMQ Course was held in October, 1997, at four centres, namely Calcutta, Chennai, Delhi and Mumbai Three members in Group One and one member in Group Two of the Course were declared successful. Out of 57 members who appeared for the examination, one member has completed Part I of the examination after passing both Groups of the written examination. Four two-day refereshcr programmes were organised during the year at Calcutta, Chennai, Delhi and Mumbai.

3. COUNCIL

3.1 President and Vice-President

At the 105th Meeting of the Council held on 1st January 1998, Shri B. P. Dhanuka and Shri Virender Ganda were elected as President and Vice-President respectively for a period of one year from 1st January 1998.

3.2 Meetings

Apart from various committee meetings, the Council held eight meetings during 1997-98.

3.3 Committees, etc.

The composition of various committees, expert groups and advisory boards Constituted by the Council is given in Appendix 'A' to the Report.

4. PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CONTINUING EDUCATION PROGRAMMES

Nine confessional development programmes including the Silver Jubilee National Convention and Third International Conference were held during 1997-98. The details are given in Appendix 'B' to the Report.

5. REGIONAL COUNCILS AND CHAPTERS

5.1 Regional Councils

The four Regional Councils continued to provide support and assistance to the Council by carrying out their activities and functions with great zeal and enthusiasm. The Regional Councils condected career fairs, phone in programmes, seminars and workshop SMTPs, oral coaching classes, students guidance meetings, study circle meetings and Regional Conferences. They have also been carrying out extensive libarary updations, publishing news bulletins and providing employment service to members by maintaining a data base, dissemination of information to members/students, selling Institute's publications. As per the directions of the Council, some of the activities being undertaken by the Headquarters have been decentralised in the Northern India Regional Council during 1997-98 and to the other Regional Councils and major Chapters in the second phase The Reserves and Surplus and the number of members and students in each Regional Council as on 31st March, 1998 are shown below.

ITEM	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC
1	2	3	4	5
Financial Position				
(i) Surplus 1997-98 (Rs.)	24859	1347150	135178	29824
(ii) Reserves (Rs.)	1350953	3440731	1602031	272405
Number of Regular Course Students				
— As on 31-03-1998	23855	52990	34792	34294
— As on 31-03-1997	20525	45385	29231	31624
— % increase during 1997-98	16.22	16.75	19.02	8.44

1	2	3	4	5
Number of Foundation Course Students				
— % As on 31-03-1998	8346	29972	9531	71370
— As on 31-03-1997	9837*	31206*	10493*	1898*
— %decrease during 1997-98	15.21	3.96	9.17	4.44
Number of Members				
— As on 31-03-1998	1405	3184	3112	4068
— As on 31-03-1997	1348	3007	3026	3963
— %increase during 1997-98	4.23	5.88	2.84	2.64

*Figures arrived at after taking into account the validity period of three years.

5.2 Chapters

During 1997-98 the office-bearers of the Managing Committees of all the 36 Chapters of the Institute were elected and the Managing Committees were reconstituted in accordance with the Company Secretaries Chapters Guidelines, 1983 (as amended upto 31-12-1997) read with Company Secretaries Regulations, 1982. The Chapters carried out a number of activities for the oral coaching and training of students and also organised professional development programmes for members during the year under report. During the year Mangalore Chapter purchased its own premises. As on date the following Chapters have their own office premises :

Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Cochin, Dombivli, Ghaziabad, Goa, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Mangalore, Pune and Vadodara.

5.3. Best Chapter Awards

The Best Chapter Awards for the year 1996 were presented to the followng Chapters at the inaugural function of 25th National Convention held at Hyderabad.

National Best Chapter Award :

Kanpur and Jaipur
(co-winners)

Regional Best Chapters :

East — Bhubaneshwar and Ranchi (co-winners)

North — Kanur and Jaipur (co-winners)

South — Hyderabad

West — Pune

5.4 Satellite Chapters

The Council of the Institute laid down the guidelines for constitution of Satellite Chapters in all four Regions to provide services to the members and students. As on date, 16 Satellite Chapters have been constituted at the following places :

North — Agra, Allahabad, Bareilly, Beawar, Bhilwara, Gurgaon, Jodhpur, Meerut, Varanasi, Yamuna Nagar

South — Hubli-Dharwad, Kottayam, Trichur, Vijayawada

West — Nasik, Raipur.

Steady material, Chartered Secretary Journal, Student Company Secretary, Foundation Course Bulletin and News Bulletins of all Regional Councils and other publications of the Institute are available with the Satellite Chapters of the Institute.

6. MEMBERS

6.1 New Admissions

Durng the year 612 and 230 persons were admitted in Associate and Fellow Members respectively. As on 31st March 1998, the Institute had 11759 members comprsing of 8713 Associates and 3046 Fellow members on its Register. The number of members residing abroad as on 31st March, 1998 was 185. The Council regrets to report the death of 13 members during the year.

During the year Certificates of Prictice were issued to 232 members. As on 31st March, 1998 number of members holding Certificates of Practice stood at 1056.

6.2 List of Members/Voters List

In pursuance of Section 19(3) of the Company Secretaries Act read with Regulation 161 of the Company Secretaries Regulations, 1992. List of Members as on 1st April 1997 has been published, which gives certain additional information such as members professional/residential addresses, date of birth, telephone numbers, fax numbers, cellular, pager numbers. The list is supplied to members on request. Additional information has been provided in the list essentially to facilitate better communcation and interaction amongst members. For the first time, region-wise list of the same was brought out on Computer Floppy for your by members and others. Besides List of Members, Voters List had also been published during the Election 1997.

6.3 General

In an endeavour to provide the best possible services the work of Membership Section has been computerised. Most of the services/information are being provided/retrieved through computer. Changes in the particulars of members are being done promptly. Mailing labels for despatch of Chartered Secretary which so far had been provided by an outside agency, are now being generated inhouse at the Headquarters. The steps for issue of Certificate of Pratice have also been streamlined.

7. ELECTIONS

Election to the Central Council and the four Regional Councils were conducted successfully in the month of December, 1997 and results notified on 22nd December, 1997. Twenty five candidates contested election for the Central Council against the total twelve seats and eighty six candidates were in fray for the Regional Councils against thirty six seats in the four Regional Councils. The counting of votes was done by a team from the Rajya Sabha Secretariat headed by Shri N. S. Walia, Under-Secretary.

PUBLICATIONS

Chartered Secretary

The journal, after having made a modest beginning in the year 1971 as a quarterly journal, increased its frequency of publication as a monthly journal in the year 1972. The journal has now entered its 28th year of publication. Rated as one of the best professional journals, it has received accolades from various quarters, be it industry, commerce or trade as well as other professionals for its quality jublication of informative articles on contemporary

topics, promptly providing Govt. notifications, legal decisions, etc. It continues to serve as an effective medium of communication between the Institute on the one hand and members and others who deal with the Institute on the other. The journal, during the year under review brought out three special issues on Union Budgest April, 1997, Corporate Governance May, 1997 and Mergers & Acquisitions-October, 1997 which were well received and appreciated by corporate professionals. In particular the Corporate Governance special which featured articles from eminent experts including Sir Adrain Cadbury of the famous Cadbury Committee which went into Corporate Governance in U. K. has been hailed as an excellent issue by none other than Sir Cadbury himself.

9. EXPERT ADVISORY GROUPS

The Core Group of Experts specialising in Corporate Laws, Capital Markets, Taxation and Accounting and Finance were reconstituted during the year under review for eliciting comments from members/experts for finalisation of representations to the Government, SEBI, Stock Exchanges, Committees/Stduy Groups constituted by the Government and other bodies.

10. RECOGNITIONS TO THE PROFESSION

The President of the Institute continues to be a member of the Advisory Committee on Primary Markets constituted by SEBI.

11. STUDENTS SERVICES

11.1 Registration for Regular Course

During the financial year 1997-98, 30431 students were registered as compared to 40311 during the previous year. The number of students whose registration was current as on 31-3-1998 was 145931 including 775 students whose registration was extended under Regulation 21(3), Appendix 'C' to the Report contains the statistics students who have completed the Foundation, Inter and Final examination.

11.2 Admission to Foundation Course

In tune with the National Policy of Education, the Institute introduce the Foundation Course for 10+2 students with effect from 20th August 1993. During the year under report, 18983 students were admitted to the Foundation Course. A total of 89783 students were admitted to the course till 31-3-1998. The Foundation examination for the first time was conducted in June 1994. In the two sessions of Foundation examination held in June and December 1997. 1640 and 1623 candidates passed the examination respectively. The number of Foundation Course students whose registraton was current as on 31-3-1998 was 57219.

11.3 Coaching

All the candidates admitted to the Foundation course and the students registered during the year 1997-98 were enrolled for undergoing Compulsory Postal Tuition and provided with the study material. 39088 coaching completion certificates were issued during the year and all the response sheets were received of Foundation, Intermediate and Final courses were evaluated and returned to the students. As a step in the direction of decentralisation of activities relating to the students services during the year, all the Regional Councils except WIRC provided the facility of local evaluation of response sheets for the Intermediate course. SIRC had provided the facility of local evaluation of response sheets for the Final course also. It is expected that WIRC would provide the facility of local evaluation of response sheets shortly.

11.4 'Student Company Secretary'

The Institute regularly brings out a monthly bulletin 'Student Company Secretary' for the benefit of students pursuing company secretaries course, mainly to appraise and update them of legislative amendments, studies and information relating to the administration of company secretaryship course including practical training requirements. The bulletin is sent free of cost to all the current students numbering more than 145000.

11. 5 CS Foundation Course Bulletin

In order to cater to the needs of the students admitted to the Foundation Course who are on the turning point of their career, the Institute also brings out a separate CS-Foundation Course bulletin. It is a bi-monthly bulletin commenced from January 1994 onwards. The CS Foundation Course bulletin is also sent free of cost to more than 57000 current students.

11.6 A Guide to Company Secretaryship—Study and Examination

In order to guide the students as to how to study and prepare for the Company Secretaries Examination, the Institute brought out an exclusive publication for the students titled 'A Guide to Company Secretaryship-Study and Examination'. As a part of service to the student community, this booklet is being provided free of cost to all the students registered for pursuing company secretaryship course from 1st July 1992 onwards.

11.7 Licentiate-ICSI

During the period under report 262 Licentiate-ICSI were admitted by the Institute. The number of Licentiate-ICSI whose Licentiateship was valid as on 31-3-1988 were 532.

11. 8 Eligibility Test Scheme

In tune with the policy of the Institute to provide facilities to the students, the Institute has implemented Eligilty Test with effect from 1-1-1998. The highlight of the Scheme is that the students can complete the coaching by passing the qualifying test which would be held by the Regional and Chapter offices on Sundays and other holidays. This facility is a boon to the working students who are neither in a position to undergo oral coaching by attending the oral classes nor find sufficient time for submitting the response sheets under the compulsory postal tuition scheme.

11.9 Oral Coaching Classes

The facility of oral coaching classes to students is being provided at 60 centres throughout India by the Regional Councils/Chapters/ Satellite Chapters and ICSI collaborative oral tuition Centres. Besides, oral coaching classes with increased duration were also conducted at the NIRC.

11.10 Library Facilities

During the year, books worth Rs. 81,939 were supplied to Chapter libraries on utility basis under the Headquarter's Library Assistance Scheme. The Dte. of Studies has also updated the list of reference titles for the Foundation, Intermediate and Final Courses, for purchase under Library Assistance Scheme. Besides, all Regional Councils and Chapters have been advised to utilise a part of the surplus from oral coaching classes for updating the library/infrastructure.

11.11 Guideline Answers for Examination Question Papers

During 1997-98 Guideline Answers for June 1997 and December 1997 examinations on all subjects of Foundation, Intermediate and Final course were published and made available in time to students.

11.12 Updation/Revision of Study Materials and Suggested Answers

The Study materials of Foundation, Intermediate and Final courses are being regularly revised/updated. The areas updated were also brought to the notice of the students through 'Student Company Secretary' and 'CS Foundation Course Bulletin'. Besides; supplementary lessons were also provided for certain subjects covering important amendments/changes in the studies relevant to the examination.

11.13 Topic-wise Session-wise Questions

Updated booklets containing topic-wise, session wise questions asked in the Institute's Foundation, Intermediate and

Final examinations were brought out for the respective courses for the last eight sessions i.e. June 1994-December 1997.

11.14 Syllabus Review

The Syllabus Review Committee had gone into the revision of syllabus in the context of emerging scenario and has given its recommendations. The Draft Final Report on the Syllabus and Training requirements has been submitted to the Council for its perusal and consideration.

12. EXAMINATION

12.1 Conduct of Examinations

During 1997-98, Company Secretaries Foundation, Intermediate and Final examination were held in June and December 1997 in 49 centres all over the country and in one centre abroad (Dubai). The number of candidates who have completed the various examination during 1997-98 are given below :

Stage of Exam.	Examination Session	
	June 1997	Dec. 1997
Foundation	1640	1623
Intermeditae	1065	1295
Final	365	343

The statistics relating to examination result is given in Appendix 'C' to the Report .

12. 2 Conduct of Post Membership Qualification Course Examination

During the year under report, Post Membership Qualification (PMQ) examination was held in October 1997 in 4 centres, viz., Calcutta, Chennai, Delhi and Mumbai. The statistics relating to Post Membership Qualification examination result is given in Appendix 'D' to the Report.

12.3 All India Prize Awards

The following students have won the President's All India Prize Award for June and December 1997 examinations.

Course	June 1997	Centre	Dec. 1997	Centre
Inter	Sh. Yatin Malhotra	Delhi	Sh. Nitin Daga	Calcutta
Final	Ms. Farzana Sam Billimoria	Mumbai	Ms. Sudha M Nagraj	Chennai

The Pt. Nehru Birth Centenary Annual Prize was won jointly by Shri Anil Dalmia of Calcutta and Shri Tarun Prakash Agarwal of Delhi. The particulars of prize winners together with all-India prize schemes and regional prize schemes were published in the 'Student Company Secretary' bulletin.

12. 4 Merit Certificates/Merit Scholarships/Financial Assistance

Merit Certificates were awarded to first 25 rank holders in the Foundation and Intermediate examinations and 10 top rank holders in the Final examinations held in June and December 1997 sessions.

Pursuant to the Merit Scholarship Scheme, Scholarships were awarded to eligible 15 top rank holders in the Institute's Foundation and Intermediate examinations held in June and December 1997 sessions. Likewise, under the Meet-cum-Means Assistance Scheme, financial assistance were granted to eligible candidates.

13 TRAINING

13.1 Empanelment

In order to empanel more and more companies for imparting training to the students of the Institute, the Directorate of Training apart from approaching various companies, which were listed on the Stock Exchanges in the country, also approached All India and State Level Financial Institutions, Nationalised and other Banks. During the Financial Year 1997-98, 141 companies were empanelled for imparting Management Training and 122 companies were empanelled for imparting Practical Training. The number of Company Secretaries recognised for imparting Apprenticeship Training during the said period was 36. The total number of companies empanelled as on 31-3-98 for imparting Management and Practical Training stood at 1621 and 1924 respectively and 318 Company Secretaries for imparting Apprenticeship Training.

Further, for the purpose of arranging training for the students in various companies, the Directorate of Training has started organising interviews from February, 1998 in the Institute itself. Such interview are being organised with a view to helping both the students and the companies.

13.2 Imparting of Training

During the Financial Year 1997-98, 333 students had undergone Management Training, 301 students completed Practical Training and 72 students undertook Apprenticeship Training. Training of Intermediate/Final passed students by the Company Secretaries in Practice is being encouraged.

13.3 Secretarial Modular Training Programme

During the year 1997-98, 14 Secretarial Modular Training Programmes were conducted by the Headquarters, Regional Councils and A & A-I Grade Chapters and 436 candidates successfully completed the training.

The Institute organised 2 SMTPs, including one Model CMTP from 22-9-97 to 9-10-97. The objective of organising such a training programme was to serve as a model for other centers conducting CMTPs and also to act as a bridge between knowledge acquired and its application in actual work situation. All the 42 participants who enrolled for the programme, successfully completed it. A brochure titled "Code of Conduct for Company Secretaries" on the professional conduct and ethics was brough out for distribution among the participants of SMTPs, who are on the verge of acquiring the membership of the Institute.

To keep pace with the contemporary changes, curriculum for SMTP has been restructured giving greater thrust to newer areas relevant to the profession.

14. PUBLIC RELATIONS AND PLACEMENT

14.1 The varied public relations and liaison activities through the print and the electronic media during 1997-98 contributed a great deal towards increasing students registration and greater acceptability of the profession among the trade, industry and the Corporate Sector. Exclusive exhaustive informative features on Company Secretaryship were published in leading newspapers from time to time both in Hindi and English in the Education and Career section on all India basis. In addition, a number of Press Releases on various seminars/activities and reactions of the Institute on topical issues were widely covered by the media during the year under review. Publicity kits alongwith Press notes were sent to Regional and Chapter offices for various Press Conferences. The Directorate successfully accomplished the telecast of an exclusive feature on Company Secretaryship on 30th April, 1997 on the Metro Channel of Doordarshan (DDII) at 7.30 A.M. during the popular programme Good Morning Today. A programme on Financial Services" was also aired on 17th May, 1997 during "Hum Honge Kamyaab" on Zee TV.

Reactions of the President, Vice-President and the Secretary on the new Companies Bill, 1997 were telecast on ZEE TV on 25th August, 1997 during Business News. This programme was also screened in Dubai, South Africa, Hongkong and European Countries wherein Zee TV has its wide network. Similar telecasts were aired by Asia Business News India

(ABNI) and Asian News International (ANI). The Seminar on Companies Bill organised on 12th June 1997 was widely reported in the Press, AIR, Doordarshan, ABNI and Zee TV, The Silver Jubilee National Convention and Press Conference on the eve of the convention received excellent coverage in newspapers as also on Doordarshan, AIR, Eenadu TV, SITI Cable, BITV(TVI).

Live Phone in programmes on All India Radio and participation in various Career Fairs marked the year under review. Detailed C S Results were published in a dozen newspapers on 26th August, 1997 and 26th February, 1998 on all India basis. The designing and production of brochures on Company Secretary in Practice and Code of Conduct for Company Secretaries were coordinated by the Directorate. The news with regard to election of President and Vice-President was published during January 1998 in leading dailies including publication of President's message through Univarta. The Vice President's interview on the profession was broadcast on TIMES FM on 26th February, 1998 during INVEST TIMES.

14.2 Placement

With a view to improving the Employment opportunities, the Bio-data of the members registered with the Placement Cell were sent to more than 300 Organisations (Private Public and Multinational Companies) and Career Consultants for their suitable appointment during the year under review. Advertisements for the post of Company Scretary from leading newspapers and Business Magazines were complied and list of our Members was sent to the concerned private/govt. organisations for consideration. Information was regularly imparted to the visiting Members on the various vacancies/opportunities for Company Secretaries on all India basis. Requests from several organisations for the posts of Company Secretaries were promptly attended to. Organisations advertising for only CA, ICWA and MBA (Finance) were requested to recruit/consider Company Secretaries as Integrated Corporate Managers. Positive feedback was received from several Members who were called for interviews and suitably placed on being sponsored by the Institute.

15. ACCOUNTS

15.1 Surplus

As a result of various initiatives adopted to curb expenses, the accounts for 1997-98 has been closed with a surplus of Rs. 248.05 lacs as against Rs. 367.19 lacs last year.

15.2 Reserves

(a) Capital Reserve

The Capital Reserve to which the entrance fee received from members are capitalised, stood at Rs. 50.74 lacs has on 31st March, 1998 as against Rs. 39.44 lacs as on 31st March 1997.

(b) General Reserve

The General Reserve which stood at Rs. 1381.49 lacs as on 31st March, 1997 has risen to Rs. 1641.69 lacs as on 31st March, 1997.

15.3 Statutory Auditors

M/s. Khanna & Annadhanam, Chartered Accountants, New Delhi, were re-appointed Statutory Auditors of the Institute for the year ended 31st March 1998 pursuant to the requiremnt of section 18(4) of the Company Secretaries Act, 1980. The Auditors Report is published alongwith the statements of accounts.

16. LAND AND BUILDINGS

16.1 ICSI-NIRC Building

The NIRC office, Library, Dte. of Studies and Foundation Cell are functioning from the ICSI-NIRC Building at 4, Prasad Nagar Institutional Area, New Delhi.

16.2 Faridabad Chapter Land

The Chapter has purchased a plot of land measuring 500 sq. yards at a total cost of Rs. 3.65 lacs in Sector 16-A, Faridabad from Haryana Urban Development Authority (HUDA). The allotment letter and later of possession have been issued by HUDA to the Chapter but the possession of the plot was not handed over by HUDA due to certain old disputes over the property. The HUDA authorities at Faridabad have recommended allotment of alternate plot of land. The proposal is pending with the Chairman of HUDA at Chandigarh for approval.

16.3 Noida Chapter Land

The Institute has purchased a plot of land measuring 1375 sq. m. at total cost of Rs. 34.38 lacs in Sector 62, Phase II, Institutional Area, Noida. The possession of the plot has since been taken over by the Institute and action for construction of the building is in progress.

16.4 Mangalore Chapter Premises

The Institute has purchased a built up premises at Grace Towers, II Floor, Bejal, Mangalore for its Mangalore Chapter at a total cost of Rs. 7.18 lacs. The new office was formally inaugurated by Shri D. K. Prahlada Rao, the then President of the Institute on 23rd December, 1997.

17. CAPITAL GRANT AND LOANS TO THE CHAPTERS

The total grant and loan given by the Institute to its Regional Councils and Chapters for acquiring their own office premises as on 31st March 1998 are as follows :

(a) Grant Rs. 302.87 Lacs.

(b) Loan Rs. 242.27 Lacs.

The endeavour of the Institute has been to help and supplement the Regional Council and Chapters in their efforts to acquire premises. A number of Regional Councils and Chapters have made tremendous efforts to raise resources for premises/building projects. The Council place on record its appreciation of such efforts by these Regional Councils/ Chapters.

18. COMPANY SECRETARIES BENEVOLENT FUND (CSBF)

18.1 Growth of CSBF Members

The CSBF had a life membership of 2526 as on 31st Mrch, 1988. The membership has shown a gradual increase over the year. The Capital Reserve and General Rssource of the Fund as on 31st March, 1998 stood at Rs. 46.29 lacs and Rs. 11.97 lacs respectively.

18.2 Efforts are continuing to enroll more number of members for the Fund. This will enable the Fund to provide better financial benefits to the members in financial distress and their families on account of death, prolonged illness, accident, etc. This is a self insurance measure. Life Membership fee of Rs. 1000 is exempt under Section 80-G of the Income Tax Act, 1961.

19. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

19.1 The Management of the ICSI is fully aware of the sifinificance of professional excellence in the most competitive business world of today. The ICSI recognises that HRD plays a key role for achieving professional excellence for efficient delivery of service to members, students and other clients in the corporate world. Keeping this in view, all round efforts were made for the development of human resource of micro level through a variety of training & development programmes. In-house training programmes were also conducted apart from nomination of officers/staff to different training and development programmes being conducted by various external agencies. In this endeavour, training in the area of computer applications was also imparted to 41 officers and staff of the Institute.

In all 68 officers and staff were put through variety of training & development programmes, which cons-

titutes more than 25 per cent of the total manpower strength of the Institute. Apart from this, membership fee of professional bodies was reimbursed to officers as a measure to encourage them for seeking professional affiliation in the areas of their specialisation and acquiring advanced knowledge. Thus the objective of training and development programmes to enhance knowledge for managerial effectiveness and upgradation of operational skills of the officers and staff was well achieved during the year in as much as cost effectiveness and productivity improvement of human resource at micro level are concerned.

As a sequel to the cordial relationship during the year, negotiations for wage revision were held in quite peaceful manner and settlement was arrived at smoothly. A Memorandum of Settlement signed on 11th November 1997 between the Institute and the representatives of the ICSI Employees' Union reaffirmed their resolve to maintain healthy climate of harmonious industrial relations through full cooperation for achieving highest efficiency in performance with optimum utilisation of all resources of the Institute.

20. FUTURE OUTLOOK

The profile of Company Secretary is changing very fast in the liberalised business and legal environment ushered in by economic reforms. As a result, the role of Company Secretary has changed from approvals and compliances to management role. The Company Secretary has accordingly been projected as a business manager capable of performing general management and commercial functions in addition to his core area of legal compliances in the capacity as in-house legal advisor. A sea change has taken place in the basic thinking of corporate managements due to liberalisation and de-regulation of controls and the resultant intense competition both at the domestic as well as international level. The thrust now is to find ways and means of thriving in the new business environment characterised by market forces. The focus has also shifted to flat organisations and the managements perceive each person in the organisation as a cost centre and measure his contribution to the momentum of the company. In this direction, the pedagogic programmes of the Institute are being redesigned to equip the members to play a dynamic role as a part of the top management group, while being a specialist in the area of legal management.

21. ACKNOWLEDGEMENTS

The Council places on record its gratitude to the Ministers and Officers of the Central Government, particularly the Department of Company Affairs and SEBI for their help, guidance and support to the development of the profession and activities of the Institute during the year. The Council is also grateful to various State Governments, Financial/Industrial/Investment Institutions/Corporate Sector in general and various Chambers of Commerce, Trade Associations and other Agencies which have been increasingly inclined to avail of the services of members of the Institute and recognise their expertise in the field of corporate laws, finance, management and allied areas. The Council also places on record its deep appreciation of the assistance and cooperation of Regional Councils and Chapters and of the commitment and devotion to duty exhibited by all levels of Officers and Staff of the Institute.

For and on behalf of the Council of
the Institute of Company Secretaries of India

B. P. DHANUKA, President

New Delhi,

Date : 12th July, 1998

APPENDIX 'A'

COMMITTEES OF THE COUNCIL FOR THE YEAR 1998

STANDING COMMITTEES

1. Disciplinary Committee

   Chairman
   B. P. Dhanuka, President

   Members
   R. D. Joshi
   S. Ramabadran

2. Examination Committee

   Chairman
   Virender Ganda, Vice-President

   Members
   Subhrendu Gangopadhyay
   J. Sridhar

3. Executive Committee

   Chairman
   B. P. Dhanuka, President

   Members
   Virender Ganda, Vice-President
   S. D. Israni (Dr.)
   R. D. Joshi
   P. V. S. Jagan Mohan Rao

OTHER COMMITTEES

4. Professional Development Committee

   Chairman
   B. P. Dhanuka, President

   Members
   Bipin S. Acharya
   K. Chandrasekaran
   Kumar D. Kapasi
   S. Ramabadran
   V. Sreedharan
   Harish K. Vaid
   Pavan Kumar Vijay

5. Training & Educational Facilities Committee

   Chairman
   Virender Ganda, Vice-President

   Members
   K. Chandrasekaran
   S. Gangopadhyay
   Kumar D. Kapasi

P. V. S. Jaganmohan Rao
P. S. Sarma (Dr.)
V. Sreedharan
Pavan Kumar Vijay

6. Regulations Committee

Chairman
B. P. Dhanuka, President
Members
Bipin S. Acharya
K. Chandrasekaran
Naina R. Desai (Mrs.)
P. V. S. Jagan Mohan Rao
J. Sridhar
Harish K. Vaid.

7. Coordination Committee

Chairman
B. P. Dhanuka, President
Members
Bipin S. Acharya
Naina R. Desai (Mrs.)
S. D. Israni (Dr.),
S. Ramabadran
P. S. Sarma (Dr.)
Pavan Kumar Vijay.

8. Editorial Advisory Board

Chairman
V. K. Majotra
Members
Girish Ahuja
V. K. Bhalla (Prof.)
Delep Goswami

Jayalakshmi Jayaraman (Dr.)
Dhiraj Mathur
S. B. Mathur
Anoop Mishra
R. K. Pandey
A. K. Poddar
Aditi S. Ray (Mrs.)
V. K. Singhania (Dr.)
Harish K. Vaid

9. Expert Advisory Group

Chairman
Justice A. M. Ahmadi
Members
R. N. Bansal
K. Chandrasekaran
U. K. Chaudhary
Naina R. Desai (Mrs.)
S. Gangopadhayay
S. D. Israni (Dr.)
S. S. Kumar
Harish K. Vaid
N. J. N. Vazifdar

10. CCRT Building Committee

Chairman
A. K. Modi
Members
Bipin S. Acharya
N. L. Bhatia
K. R. Chandratre (Dr.)
Naina R. Desai (Mrs.)
S. D. Israni (Dr.)
Kumar D. Kapasi
P. P. Mistry (Dr.)
R. Ramachandran
C. R. Shah
J. Sridhar
N. J. N. Vazifdar
Office-Bearers of WIRC

Ex-Officio Members

B. P. Dhanuka, President
Virender Ganda, Vice-President
S. P. Narang (Dr.), Secretary

11. NOIDA Building Committee

Chairman
R. N. Bansal

Members

Girish Ahuja
O. P. Dani
Pankaj Gupta
N. K. Jain
Shashank Jain
R. K. Pandey
Harish K. Vaid
Pavan Kumar Vijay
Chairman, NIRC

Ex-officio Members,
B. P. Dhanuka, President,
Virender Ganda, Vice-President,
S. P. Narang (Dr.), Secretary.

12. CCRT Management Committee

Chairman
B. P. Dhanuka, President
Members
Bipin S. Acharya
Naina R. Desai (Mrs.)
Virender Ganda
S. D. Israni (Dr.)
Kumar D. Kapasi
S. Ramabadran
J. Sridhar
Pavan Kumar Vijay
Member-Secretary
S. P. Narang (Dr.)

13. Perspective Planning Group

Chairman
C. R. Shah
Members
K. R. Chandratre (Dr.)
S. D. Israni (Dr.)
R. Krishnan
D. K. Prahlada Rao
D. B. Saxena
Shyamal Sen
N. J. N. Vazifdar
Member-Secretary
S. P. Narang (Dr.)

APPENDIX 'B'

1. One-day National Seminar on 'Emerging Dimensions of Corporate Governance' organised jointly with Indian Institute of Foreign Trade at New Delhi on April 10, 1997.

2. Two-day Programme on Legal Implications of Disinvestment and Public Issues in PSUs in collaboration with Department of Public Enterprises at Mysore on May 23-24, 1997.

3. One-day National Seminar on the Working Draft of the Companies Bill, 1997 organised jointly with ICWAI at New Delhi on June 12, 1997.

4. Two-day Workshop on Systems Audit of Computerised Secretarial Functions at Chennai on July 4-5, 1997.

5. Five-day Training Programme for the Officers of Central Company Law Services at New Delhi on July 21-25, 1997.

6. Silver Jubilee National Convention and Third International Conference of Company Secretaries on Corporate Governance Gobal Perspective at Hyderabad on August 29-31, 1997.

7. National Seminar on Companies Bill, 1997 at Calcutta on November 15, 1997.

8. Two-day Workshop on Systems Audit of Computerised Secretarial Functions at Chennai on December 12-13, 1997.

9. One-day National Seminar on Alternative Dispute Resolution, organised jointly with ICADR at New Delhi on December 27, 1997.

10. Three-day Programme on Mergers and Acquisitions in collaboration with Administrative Staff College of Inda at Hydera bad on February 19-21, 1998.

11. Five-day Training Programme for the Officers of Central Company Law Services at New Delhi on March 17-21, 1998.

APPENDIX 'C'

STATISTICS ON STUDENTS APPEARED AND PASSED IN EXAMINATION

I—JUNE 1997 Session

Examination	Number of Candidates			
	Enrolled	Appeared	Passed	Pass%
Foundation	11756	9124	1639	17.96
Intermediate*				
Group - I	22020	13546	1270	9.38
Group - II	20526	12876	1733	13.46
Final†				
Group - I	3115	2209	521	23.59
Group - II	3091	2047	442	21.59

*4413 Candidates appeared for Intermediate both groups out of whom 193 candidates passed both groups (4.37%)
†872 Candidates appeared for Final both groups out of whom 89 candidates passed both groups (10.20%)

II - DECEMBER 1997 Session

Examination	Number of Candidates			
	Enrolled	Appeared	Passed	Pass%
Foundation	11613	9328	1623	17.40
Intermediate*				
Group - I	22803	13531	1771	13.09
Group - II	21479	13412	1329	9.91
Final†				
Group - I	3479	2416	433	17.92
Group - II	3673	2499	533	21.33

*3221 Candidates appeared for Intermediate both groups out of whom 236 candidates passed both groups (7.33%)
†674 Candidates appeared for Final both groups out of whom 69 Candidates passed both groups (10.24%),

APPENDIX 'D'

POST MEMBERSHIP QUALIFICATION (PMQ) EXAMINATION - OCT. 1997

Examination	Number of Candidates			
	Enrolled	Appeared	Passd	Pass%
Group - I	103	44	3	6.82
Group - II	45	26	1	3.85

29 Candidates enrolled for both groups out of whom 15 candidates appeared in both groups and none declared pass in both groups.

KHANNA & ANNADHANAM

(Chartered Accountants)

706, Akash Deep, 26-A Barakhamba Road,
P.O. Box 648, New Delhi-110 001
Tel : 3315110 3315119 Grams : ALERT, New Delhi

AUDITORS REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of the Institute of Company Secretaries of India as at 31st March, 1998 and also the Annexed Income and Expenditure Account for the year ended on that date and report that :

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account; and

(c) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read with notes and accounting policies attached thereto or appearing thereon, give true and fair view :—

(i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at 31st March, 1998; and

(ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For KHANNA & ANNADHANAM
Chartered Accountants

Place : New Delhi
Dated : 12th July, 1998

Sd/-

(K. A. Balasubramanian)
PARTNER

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA, NEW DELHI
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 1998

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule			31st March, 1998			31st March, 1997
SOURCES OF FUNDS							
Capiatl Reserve	1			5,073,570			3,943,920
General Reserve	2			164,168,695			138,149,483
Scientific Research Reserve	3			4,021,656			1,729,188
Hospitalisation Fund	4			5,800,000			5,000,000
TOTAL				179,063,921			148,822,591
APPLICATION OF FUNDS							
Fixed Assets	5						
Gross Block		63,832,203			61,841,788		
Less : Depreciation		18,323,121			15,367,571		
			45,509,082			46,474,217	
Add : Advance for purchase of Land and Buildings under construction			27,064,419			11,171,662	
				72,573,501			57,645,879
Investments	6			83,783,239			79,186,837
Current Assets, Loans and Advances							
Current Assets	7						
Interest accrued on investments		11,479,113			7,728,484		
Stock in hand		5,206,213			6,656,615		

1	2	3			4	
Sundry Debtors		658,521			878,955	
Cash and bank balances		38,115,701	55,459,548		31,456,829	46,720,883
Loans and Advances	8		16,229,979			15,295,550
			71,689,527			62,016,433
Less : Current Liabilities and Provisions	9					
Liabilities		(32,502,726)			(33,897,927)	
Provisions		(16,479,620)	(48,982,346)	22,707,181	(16,128,631)	(60,026,558) 11,989,875
TOTAL				179,063,921		148,822,591
ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS	15					

As per our report of even date
For KHANNA & ANNADHANAM
Chartered Accountants
(K.A. Balasubramanian)
Partner

For and on behalf of the Council

(Dr. S.P. Narang)
Secretary

(Virender Ganda)
Vice-President

(B.P. Dhanuka)
President

Place : New Delhi
Dated : 12th July, 1998

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA, NEW DELHI
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 1998

(Amounts in Rs.)

Particulars	Schedule	1997-98	1996-97
1	2	3	4
INCOME			
Fees from Members and Students	10	103,468,973	119,916,247
Subscription to Journal & Bulletin and Advertisements		2,315,243	2,204,469
Sale of Publications		7,640,874	8,078,219
Interest on Investments (Gross) Tax deducted at source 'Nil'		16,960,925	11,732,407
Income from Programmes		4,034,504	2,144,400
Other incomes	11	1,268,024	933,342
TOTAL		**135,688,543**	**145,009,084**
EXPENDITURE			
Establishment	12	35,854,723	35,827,142
Postal Tuition		13,522,626	19,700,442
Publications and Office Stationery		3,366,238	5,176,244
Journal and Bulletins		7,367,877	8,055,274
Examinations		10,152,133	6,957,448
Communication	13	4,761,524	3,904,591
Grant to Regional Councils and Chapters		3,531,739	4,608,279
Regional Offices		505,006	485,383
Travelling and Conveyance		3,068,855	2,130,282
Students Scholarships and Awards		176,802	158,803

1	2	3	4
Professional Development Programme and Training		3,207,722*	2,261,068
Election		612,714	—
Other Expenses	14	14,635,168	8,824,698
Depreciation	5	3,320,580	3,700,404
Contribution to Co.-Secy . Bene. Fund		1,000,000	2,500,000
Contribution to Hospitalisation Fund		800,000	4,000,000
Provision for Voluntary Retirement Scheme		5,000,000	—
		110,883,707	108,290,058
Excess of Income over Expenditure transferred to General Reserve		24,804,836	36,719,026
Total		**135,688,543**	**145,009,084**

*Includes surplus of Rs. 4,74,226 (Previous Year Rs. 2,53,240) allocated to Chapter and Benevolent Funds.

As per out report of even date
For **KHANNA & ANNADHANAM**
Chartered Accounts

For and on behalf of the Council

(K.A. Balasubramanian)	(Dr. S.P. Narang)	(Virender Ganda)	(B.P. Dhanuka)
Partner	Secretary	Vice-President	President

Place : New Delhi
Dated : 12th July, 1998

CAPITAL RESERVE

SCHEDULE 1 (Amount in Rs.)

Particulars	31st March, 1998		31st March, 1997	
As per last Balance Sheet		3,943,920		3,653,825
Entrance fees— Associate Members	183,600		228,900	
—Fellow Members	66,000	249,600	45,600	274,500
Capital Profit on sale of Assets		880,050		15,595
TOTAL		**5,073,570**		**3,943,920**

GENERAL RESERVE

SCHEDULE 2 (Amount in Rs.)

Particulars	31st March, 1998		31st March, 1997	
As per last Balance Sheet		138,149,483		98,490,457
Add : Contributions from Regional Councils/Chapters				
Land and Buildings	1,211,876		2,940,000	
Direct donations	2,500		—	
		1,214,376		2,940,000
		139,353,859		101,430,457
Add : Surplus as per Income and Expenditure Account		24,804,836		36,719,026
TOTAL		**164,168,695**		**138,149,483**

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (CCRT) RESERVE

SCHEDULE 3 (Amount in Rs.)

Particulars	31st March, 1998	31st March, 1997
1	2	3
As per last Balance Sheet	1,729,188	4,214,312
Donations/Contributions received	14,290,377	7,014,662
Interest on earmarked funds	101,271	70,047
	16,120,836	11,299,021
Less ; Contributions from ICSI to WIRC adjusted against Loans/Advances (per contra)	12,099,180	9,569,833
TOTAL	**4,021,565**	**1,729,188**

HOSPITALISATION FUND

SCHEDULE 4 (Amount in Rs.)

Particulars	31st March, 1998	31st March 1997
1	2	3
As per last Balance Sheet	5,000,000	1,000,000
Transferred from Income & Expenditure Account	800,000	4,000,000
TOTAL	**5,800,000**	**5,000,000**

SCHEDULE OF FIXED ASSETS

SCHEDULE 5

S. No.	Items as on	Gross Block			
		Cost as on 1-4-1997	Additions	Deletions	Total cost as on 31-3-1998
1	2	3	4	5	6
1.	Leasehold land	9,552,175	922,310	0	10,474,485*
2.	Buildings	33,374,841	38,113	819,950	32,593,004
3.	Furniture and fixtures	2,848,762	87,193	0	2,935,955
4.	Computer network	7,602,566	664,805	0	8,267,371
5.	A/c installations and coolers	1,191,097	233,155	0	1,424,252
6.	Electrical equipment	1,570,185	141,154	0	1,711,339
7.	Office and communication equipment	3,262,454	627,648	287,661	3,602,441
8.	Other equipment	149,129	0	0	149,129
9.	Library books	1,909,991	388,389	4,471	2,293,639
10.	Vehicles	380,588	0	0	380,588
	This year total	61,841,788	3,102,767	1,112,352	63,832,203
	Previous year total	44,120,596	18,182,060	460,868	61,841,788

Advances (work-in progress)				
1. Land (refer note no-2 of financial notes)	300,000	0	0	300,000
2. Buildings (under construction)	10,871,662	12,064,515	0	22,936,177*
3. Others	0	3,828,242	0	3,828,242**
This years total	11,171,662	15,892,757	0	27,064,419
Previous year total	4,934,144	7,120,999	883,481	11,171,662

*includes Rs. 29,54,922 (previous years Rs. 28,91,986);
*includes Rs. 2,01,87,212 (previous years Rs. 1,02,66,888) fowards Scientific Research Project (CCRT) at Mumbai
**relates to Scientific Research Project (CCRT) at Mumbai

(Amount in Rs.)

Depreciation				Net Block	
Total as on 1-4-1997	For the year	Deletions	Total as on 31-3-1998	As on 31-3-1998	As on 31-3-1997
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	10,474,485	9,552,175
7,465,926	1,267,483	217,212	8,516,197	24,076,807	25,908,915
1,834,330	178,943	0	2,013,273	922,682	1,014,432
1,838,834	967,293	0	2,801,127	5,466,244	5,768,732
867,357	83,533	0	950,890	473,362	323,740
494,609	193,729	0	688,338	1,023,001	1,075,576
1,532,708	336,601	145,019	1,724,290	1,878,151	1,729,746
55,968	14,161	0	70,129	79,000	93,161
1,183,813	222,525	2,799	1,403,539	890,100	726,178
99,026	56,312	0	155,338	225,250	281,562
15,367,571	3,320,580	365,030	18,323,121	45,509,082	46,474,217
11,880,575	3,700,404	213,408	15,367,571	46,474,217	32,240,022
				300,000	300,000
				22,936,177	10,266,888
				3,828,242	604,774
				27,064,419	11,171,662
				11,171,662	4,934,144

INVESTMENTS-AT COST

SCHEDULE 6

(Amount in Rs.)

Particulars	As on 31-3-1997	Additions	Deletions	As on 31-3-1998
1	2	3	4	5
(A) Fixed Deposits with Public Sector Undertkings				
— Steel Authority of India Ltd.	7,105,000	12,900,000	5,500,000	14,505,000
— National Thermal Power Corpn. Ltd. (12%-14%)	3,000,000	2,500,000	—	5,500,000
— Industrial Finance Corporation of India	2,123,143	—	2,123,143	0
— Minerals & Metals Trading Corporation (14.5-15.0%)	—	5,500,000	—	5,500,000
Total (A)	**12,228,143**	**20,900,000**	**7,623,143**	**25,505,000**

(B) Bonds of Public Sector Undertakings				
—2300 (Previous year 6400) 17% Bonds of Rs. 1000 each of Mahanagar Telephone Nigam Limited	6,308,690	—	4,062,538	2,246,152
— NIL (Previous Year 600) 13% Bonds of Rs. 1000 each of National Thermal Power Corporation Limited	507,917	—	507,917	0
— 115 (Previous Year 115), 15.5-16.5% Bonds of Rs. 1 lac each of Industrial Finance Corporation of India	11,500,000	—	—	11,500,000
— 800 (Previous Year 800), 15.5% Bonds of Rs. 5000 each of Industrial Finance Corporation of India	4,000,000	—	—	4,00,000
— 6000 (Previous Year 6000), 14-15% Bonds of Rs. 1,000 each of State Bank of India	5,757,500	—	—	5,757,500
— 10 (Previous Year 10), 16.25% Bonds of Rs. 1 Lac each of Nuclear Power Corpn. Ltd.	1,000,000	—	—	1,000,000
— 200 (Previous Year 200), Zero Coupon Bonds of Rs. 1 Lac each of Indl. Development Bank of India	9,600,000	—	—	9,600,000
— 45 (Previous Year 45), 16-16.75% Bonds of Rs. 1 lac each of Steel Authority of India Ltd.	4,500,000	—	—	4,500,000
— 11000 (Previous Year 11000), 16.25-17% Bonds of Rs. 1000 each of National Hydro-Power Corpn. Ltd.	11,000,000	—	—	11,000,000
— NIL (Previous year 5), 16% Bonds of Rs. 10 lacs each of Industrial Credit & Investment Corpn. of India Ltd.	5,000,000	—	5,000,000	0
— 30 (Previous Year 30), 15.5% Bonds of Rs. 1000 each of Industrial Credit & Investment Corpn. of India Ltd.	29,880	—	—	29,880*
— 89 (Previous Year NIL), 15.5% Bonds of Rs. 10,000 each of Industrial Credit & Invesment Corpn. of India Ltd.	—	890,000	—	890,000
— 200 (Previous Year 200), 16% Bonds of Rs. 5000 each of Industrial Credit & Investment Corpn. of India Ltd. (erstwhile Shipping Credit & Inv. Corpn. of India (Ltd.)	1,000,000	—	—	1,000,000
— 1000 (Previous Year 1000) 16.5% Bonds of Rs. 1000 each of Indian Railway Finance Corporation Ltd.	980,000	—	—	980,000
Total (B)	**61,183,987**	**890,000**	**9,570,455**	**52,503,532**
(C) Units (under US-64 Scheme) of the Unit Trust of India				
— 354043 Units, including 32413 Bonus Units (Previous Year 354043)	5,621,129	—	—	5,621,129
— 2550 Units (Previous Year 2550)	153,578	—	—	153,578*
Total (C)	**5,774,707**	**0**	**0**	**5,774,707**
GRAND TOTAL (A+B+C)	**79,186,837**	**21,790,000**	**17,193,598**	**83,783,239**

*earmarked for Prize Awards

Note ; The resale value of Units under US-64 Scheme of Unit Trust of India as 31-3-1998 was Rs. 50,62,815

CURRENT ASSETS

SCHEDULE 7 **(Amount in Rs.)**

Particulars	31st March, 1998			31st March, 1997		
1	2	3	4	5	6	7
Interest Accured on Investments			11,479,113			7,728,484
Stock (valued, taken and certified by the Management)						
(a) Publications		448,125			358,630	
(b) Paper		4,148,286			5,777,177	
(c) Study material		302,817			258,801	
(d) Others		306,985	5,206,213		262,007	6,656,615
Sundry Debtors (Unsecured)						
(a) Outstanding for more than six months						
(i) considered good	85,540			67,890		
(ii) considered doubtful	43,050			35,850		
	128,590			103,740		
(b) Others (considered good)	572,981			811,065		
		701,571			914,805	
Less : Provision for Bad & Doubtful Debts		(43,050)			(35,850)	
			658,521			878,955
Cash and Bank Balances						
(a) Cash, Cheques, Drafts, Postage stamps/franking units in hand		1,304,417			1,166,095	
(b) With scheduled banks						
–in savings bank accounts	12,284,742*			12,756,812		
–in short-term deposits				4,600,000		
–in long-term deposits including Rs. 26,542 (Previous Year Rs. 33,922) for Prize Awards	24,526,542**			12,933,922		
		36,811,284			30,290,734	
			38,115,701			31,456,829
					30,290,734	
TOTAL			**55,459,548**			**46,720,883**

*includes Rs. 3,34,120 (Previous Year Rs. 9,04,854)

**includes Rs. 5,00,000 (Previous Year Rs. 5,00,000) earmarked against Scientific Research Project (CCRT) Mumbai

LOANS AND ADVANCES

SCHEDULE 8 **(Amount in Rs.)**

Particulars	31st March, 1998		31st March, 1997	
1	2	3	4	5
Loans				
Regional Councils/Chapters for buildings		18,970,110		18,524,449

1		2	3	4	5
Advances					
Employees		3,081,138		3,064,451	
Regional Councils/Chapters		12,000,000		186,508	
Others		2,528,300	17,609,438	1,771,752	
					5,022,711
Prepaid Expenses			206,319		943,504
Sundry Deposits			1,113,125		374,719
			37,898,992		24,865,383
Less: Contribution from ICSI to WIRC adjusted to Scientific Research Project Reserve (per contra)			21,669,013		9,569,833
TOTAL			**16,229,979**		**15,295,550**

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

SCHEDULE 9 (Amount in Rs.)

Particulars	31st March, 1998			31st March, 1997		
Current Liabilities						
Received in Advance						
—Student Registration fee	25,096,853			22,982,225		
—Others	347,120			1,109,352		
		25,443,973			24,091,577	
Payable to Regional Councils/ Chapters		807,939			1,839,524	
Sundry Creditors		601,065			594,262	
Expenses Payable		3,276,621			4,211,433	
Benevolent Funds						
—Company Secretaries	982,708			2,653,622		
—Employees	538,135	1,520,843		64,046	2,717,668	
Deposit for prize awards (per contra)		210,000			217,500	
Trusts		98,301			—	
Donation Reallocable		543,984			225,963	
			32,502,726			33,897,927
Provisions						
Other benefits to be extended as per recommendations of 5th Pay Commission		5,595,653			12,500,000	
Voluntary Retirement Scheme		5,000,000			—	
Property Tax		3,962,674			1,200,000	
Leave Encashment		1,200,000			—	
Write-off Assets		323,295			—	
Medical reimbursement		312,269			—	
Others		85,729			24,28,631.00	
			16,479,620			16,128,631
TOTAL			**48,982,346**			**50,026,558**

FEES FROM MEMBERS AND STUDENTS

SCHEDULE 10 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	1997-98		1996-97	
Members				
Annual fees	3,050,788		2,876,000	
Other fees	29,725	3,080,513	9,600	2,885,600
Students				
Registration fees	16,952,714		17,285,596	
Exemption fees	2,654,893		3,686,710	
Postal Tuition fees	54,570,090		71,197,894	
Examination fees	25,429,281		24,572,115	
Licentiate fees	139,475		136,555	
Other fees (including PMQ)	642,007		151,777	
		100,388,460		117,030,647
TOTAL		**103,468,973**		**119,916,247**

OTHER INCOMES

SCHEDULE 11 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	1997-98	1996-97
Incentive on investments	352,295	264,569
Profit on sale of investments	283,345	19,116
Interest on staff advances	132,400	59,116
Expert advisory services	2,000	17,000
Surplus on disposal of assets	228,873	103,520
Provn. no longer required, written back	114,147	389,028
Miscellaneous	154,964	80,993
TOTAL	**1,268,024**	**933,342**

ESTABLISHMENT

SCHEDULE 12 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	1997-98	1996-97
Salaries and Allowances	28,958,478	28,143,303
Contribution to: Provident Fund	1,944,712	1,445,580
Gratuity Fund	1,369,395	708,156
Pension Fund	806,000	3,540,968
Post-retirement Medical Scheme	121,440	672,240
Staff Welfare	2,654,698*	1,316,895
TOTAL	**35,854,723**	**35,827,142**

*includes Rs. 5.00 lacs as contribution to Employees Benevolent Fund.

COMMUNICATION

SCHEDULE 13 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	1997-98	1996-97
Postage and Telegrams	3,768,566	3,144,721
Telephone, Fax and Telex	992,958	759,870
TOTAL	4,761,524	3,904,591

OTHER EXPENSES

SCHEDULE 14 ;Amount in Rs.)

Particulars	1997-98		1996-97	
Adveritsement and Publicity		509,129		1,248,708
Bank Charges		92,133		86,738
Rent, Rates and Taxes		4,806,295*		702,478
Electricity and Water		2,045,516		1,235,312
Insurance		51,037		47,008
Repairs and Maintenance				
— Buildings	426,977		608,810	
— Machine/Equipment	507,080		454,231	
— Vehicles	121,432	1,055,489	76,937	1,139,978
Legal and Professional charges		550,872		563,723
Office expenses		1,304,241		964,232
Computerisation				
— Data processing	1,596,329		1,222,322	
— Software	911,850	2,508,179	368,909	1,591,231
Meetings		163,423		240,813
Packing, Cartage and Freight		984,939		922,622
Loss on Sale/Disposal of Assets		96,303		—
Auditors remuneration				
— Audit fees	50,000		35,000	
— Other services	25,000	75,000	25,000	60,000
Provision for Doubtful Debts		7,200		21,855
Interest Paid		62,117		—
Obsolescence of Assets		323,295		—
TOTAL		14,635,168		8,824,698

*includes Rs. 29,30,942 (Previous Year Rs. 3,68,140) towards Property Tax in respect of buildings at Prasad Nagar and Lodhi Road.

SCHEDULE 15

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(A) ACCOUNTING POLICIES

1. Donations and Contrbutions by Regional Councils Chapters.—Direct donations and contributions made by Regional Councils|Chapters towards purchase of land|buildings and other assets are taken to General Reserve and the funds actually utilised charged directly to General Reserve.

2. Fees:

(a) Entrance fee from Associate and Fellow Members is directly credited to "Capital Reserve" when received and no accrual thereof is created.

(b) Fees received from members is accounted for on cash basis. However fees received in advance is carried over as a liability.

(c) Fees sother than registration fees, received from students is accounted for on cash basis. Registration fee received is spread over a period of five years since the benefit accrues to students for a five-year period.

3. Investments.—Investments are stated at cost.

4. Fixed Assets:

(a) Depreciation on fixed assets is charged on written down value basis at the following rates:

Items	%
Building	5
Furniture and fixtures	10
Air-conditioners|coolers, Computers and other equipments	15
Library Books	20
Vehicles	20

(b) Depreciation on additions is charged for the full year irrespective of dates of additions with no depreciation being charged in the year of sale.

(c) Fixed assets, except library books, costing Rs. 5,000 or less are fully depreciated in the year of acquisition and those whose written down value is Rs. 250 or less at the beginning of the year are fully depreciated.

(d) Premimum paid on leasehold land is not amortized over the period of lease.

(e) In the case of obsolescence of assets due to technological advancement, additional amounts are written-off as depreciation based on re-sale value.

5. Inventories:

(a) Stock of paper and other materials are valued at cost.

(b) Stock of study materials, publications, Journal|Bulletins and auto cassttes are valued at nominal cost of Re. 1 for items costing upto Rs. 50 and Rs. 5 for items costing above Rs. 50.

6. Employees' retirement and other benefits:

(a) Contributon to Pension Fund Trust is made on the basis of actuarial valuation.

(b) Contribution to Gratuity Fund Trust is made in accordance with the Group Gratuity Scheme with the Life Insurance Coporation of India.

7. Interest:

(a) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(b) Interest on loan to employees is accounted for on cash basis and no accrual thereof is created.

(B) NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. The Institute has received exemption certificate dated 17-6-1997 under section 10(23(c)(iv) of the Income-Tax Act, 1961 upto the financial year 1996-97. In view of the expected renewal of the exemption under the said section, no provision for tax has been made in the accounts.

2. Freehold land measuring 500 sq. yards allotted by the Haryana Urban Development Authority (HUDA) at Faridabad to Faridabad Chapter of the Institute at Rs. 3.65 lacs could not be handed over by HUDA due to some dispute in the title and the authorities had promised to allot alternative plot of land which had not been effected so far. Pending allotment of alternative site, a sum of Rs. 3.65 lacs paid till date (Rs. 3 lacs is reflected in Advances for purchase of land in the Institute's books and Rs. 0.65 lacs in the books of the Chapter) continues to be included under Advances.

3. Provision for property tax of Rs. 38.37 lacs (including Rs. 12.00 lacs for the previous years) has been made in the accounts in respect of building at Prasad Nagar on the basis of demand raised by the concerned authorities. The difference, if any, between the amount provided and the payable will be accounted for in the year when the matter is finally decided.

4. Balance provision of Rs. 55.95 lacs (previous year Rs. 125 lacs) created in the previous year for arrears of salary and allowances has been retained towards probable increase in the statutory contribution to Contributory Provident Fund (CPF), pension; and gratuity limits payable to the Trusts.

5. An amount of Rs. 6,04,773.80 paid to OTIS for lift at Prasad Nagar building, continues to be shown as advance in the fixed assets schedule since the same has not yet become operational for want of permanent electricity connection.

6. Following past practice, closing inventories of publications|study materials have been, as a prudent

measure, evaluated at nominal values since the publication|study materials have no value except to the students and that too only when purchased.

7. Hitherto leave encashment was accounted for on payment basis. Commencing from this year it has been decided to account for the same on accrual basis. Consequently the Income & Expenditure Account has an additional charge of Rs. 12.00 lacs with consequential impact on the liabilities|provisions.

8. In resspect of Pune Chapter's building costing Rs. 6,02,738, the ICSI has entered into an agreement to sell, handed over possession and received full sale consideration there against. The profit on disposal thereof amounting to Rs. 2,17,212 has been credited in the Income & Expenditure Account and capital profit amounting to Rs. 8,80,050 transferred to Capital Reserve Account even though conveyance deed in respect of the same has not yet been executed.

9. To meet the cost of the construction and other related expenditure for the 'Centre for Corporate Research & Training' (CCRT) at New Mumbai the Institute has advanced sums aggregating to Rs. 2,16,69,013 upto 31st March, 1998 (Rs. 95,69,833 upto 31st March, 1997) excluding cost of land contributed by ICSI, which has been reduced from "Scientific Research Project (CCRT) Reserve Account" and Loans & Advances respectively being contra entries. The actual cost incurred to date aggregating to Rs. 2,69,70,376 is included under Advances (Work-in-Progress) and shown in the Fixed Assets Schedule. This adjustment as referred to above however has no impact on the accounts of the Institute.

10. Difference of Rs. 2,00,128 as between the balance shown in the Statement of Accounts submitted by the WIRC when compared with balance as per General Ledger (the figure as per General Ledger for advance to WIRC being more) is under reconciliation for effecting necessary correction thereof This is however not expected to have any impact on the surplus of the year.

11. Pending formulation and recognition of a Voluntary Retirement Scheme, a sum of Rs. 50 lacs set apart from out of the surplus for the year under the proposed Voluntary Retirement Scheme (VRS) to provide for voluntary retirement payment is carried under Provisions.

12. In regard to computers, additional provision of Rs. 3,23,295 has been made during the year to cover the loss due to obsolescence of assets owing to technological advancement.

13. Balances outstanding in advances recoverable accounts, loans to Regional Councils|Chapters are subject to confirmation.

14. Previous years' figures have been regrouped| rearranged wherever necessary to compare with current year's figures.

15. The accounts of the Regional Councils and Chapters have not been consolidated as per past practice.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1998